इसे वेबसाइट **www.govtpress.mp.gov.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 सितम्बर 2025–भाद्र 28, शक 1947

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मैं, हरिनारायण राठौर पुत्र श्री रामाधार राठौर मेरे पुत्र का नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र व उसके समस्त मार्कशीटों में रामभरोष राठौर (RAMBHAROSH RATHORE) पुत्र हरिनारायण राठौर (HARINARAYAN RATHORE) दर्ज है, जो कि सही है, मगर त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड में उसका नाम प्रिन्स राठौर (PRINCE RATHORE) लिख गया है, जो कि गलत हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को उसके सही नाम रामभरोष राठौर (RAMBHAROSH RATHORE) पुत्र हरिनारायण राठौर (HARINARAYAN RATHORE) के नाम से जाना–पहचाना, पुकारा व लिखा जावे व सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मान्य किया जावे.

आवेदक
(हरिनारायण राठौर)
निवासी– म.नं. 100, श्याम नगर,
अटल चौराहा, बरखेड़ा पठानी,
भोपाल (म.प्र.).

(G-5353)

नाम परिवर्तन

मैं, सूरज शर्मा पुत्र श्री विनोद शर्मा, निवासी–93, बिरयाई भमावद कुंभराज, गुना (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश संस्कार शर्मा (SANSKAR SHRMA) नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे वोटर कार्ड एवं अन्य शैक्षणिक दस्तावेजों पर सूरज शर्मा (SURAJ SHARMA) दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम सूरज शर्मा (SURAJ SHARMA) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(संस्कार शर्मा)
(SANSKAR SHRMA)

नया नाम
(सूरज शर्मा)
(SURAJ SHARMA).

(G-5354)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रेय श्रीवास्तव (Shrey Shrivastava) पुत्र नितिन श्रीवास्तव, निवासी– D-14, बंजारी, कोलार रोड, हुजूर, भोपाल (म.प्र.). मैंने अपना नाम श्रेय श्रीवास्तव (Shrey Shrivastava) से बदलकर श्रेय श्रीवास्तव (Shray Shrivastava) कर लिया है और अब से मैं, सभी प्रयोजनों के लिय श्रेय श्रीवास्तव (Shray Shrivastava) के नाम से जाना जाऊँगा.

प्रार्थी
(श्रेय श्रीवास्तव)
(Shray Shrivastava).

(G-5355)

नाम परिवर्तन

मैं, तसनीम सैफी (Tasneem Saify) पत्नी ताहिर सैफी (Tahir Saify), निवासी– (Motia Apartment F–3, Opp Moti Masjid, Huzur, Bhopal (M.P.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम यास्मीन सेफी (Yasmeen Saify) दर्ज है, जो कि गलत है, जबकि मेरा सही नाम तसनीम सैफी (Tasneem Saify) पत्नी ताहिर सैफी (Tahir Saify) है, जो कि मेरे अन्य शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम तसनीम सैफी (Tasneem Saify) पत्नी ताहिर सैफी (Tahir Saify) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(यास्मीन सेफी)
(Yasmeen Saify)

नया नाम
(तसनीम सैफी)
(Tasneem Saify)
पत्नी– ताहिर सैफी
(Tahir Saify).

(G-5356)

नाम परिवर्तन

मैं, सौरभ माली पुत्र दिनेश माली, निवासी–487/1, ग्राम जसवाड़ी तहसील व जिला खंडवा (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम शाहरूख माली (Shahrukh Mali) पुत्र दिनेश (Dinesh) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरा सही नाम सौरभ माली (Sorabh Mali) पुत्र श्री दिनेश माली (Dinesh Mali) हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम सौरभ माली (Sorabh Mali) पुत्र श्री दिनेश माली (Dinesh Mali) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(शाहरूख माली)
(Shahrukh Mali)
पुत्र– दिनेश
(Dinesh)

नया नाम
(सौरभ माली)
(Sorabh Mali)
पुत्र– श्री दिनेश माली
(Dinesh Mali).

(G-5357)

नाम परिवर्तन

मैं, राधा राठौर पिता श्री कैलाशचन्द्र राठौर, निवासी–ग्राम लखोनी, तहसील जीरापुर, जिला राजगढ़ (म.प्र.). मेरे शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मेरा अंग्रेजी व हिन्दी में नाम व सरनेम राधा राठौर (RADHA RATHORE) D/o. (KAILASH CHANDRA RATHOR) दर्ज हो गया है व अन्य शासकीय–अशासकीय दस्तावेजों में नाम व सरनेम राधा राठौर (RADHA RATHOR D/o. KAILASH CHANDRA RATHOR) है. मेरे आधार कार्ड में मेरे सरनेम की अंग्रजी की स्पेलिंग त्रुटिवश राधा राठौर (RADHA RATHORE D/o. KAILASH CHANDRA RATHOR) दर्ज हो गया है. मेरे नाम व सरनेम की अंग्रजी में सही स्पेलिंग (RADHA RATHOR) D/o. (KAILASH CHANDRA RATHOR) है एवं भविष्य में इसी नाम व सरनेम से जानी–पहचानी जाऊंगी.

पुराना नाम
(राधा राठौर)
(RADHA RATHORE)

नया नाम
(राधा राठौर)
(RADHA RATHOR)
पुत्री– कैलाशचन्द्र राठौर
(KAILASH CHANDRA RATHOR).

(G-5358)

नाम परिवर्तन

मैं, माधवी सेन पत्नी श्री मुकेश सेन, निवासी म.नं. एल.आई.जी. 2/245, लहारपुर, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, बागमुगालिया एक्सटेंशन, भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम माधुरी सेन अंकित हो गया है, जो कि गलत है, मेरा पुराना नाम है. मेरा सही नाम माधवी सेन है, जो कि मेरे पुत्र की अंकसूची में अंकित है. मेरा नया नाम माधवी सेन है, जो कि सत्य एवं सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे इसी नाम से जाना–पहचाना जावे.

पुराना नाम
(माधुरी सेन)

नया नाम
(माधवी सेन).

(G-5359)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम योगीता नागवंशी पत्नी श्री मनीष नागवंशी (YOGEETA NAGWANSHI W/o. MANISH NAGWANSHI), निवासी वार्ड नं–02, निशान जनोजी, निंसजनोजी परस्गओं, छिन्दवाडा (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश अंगीता बेलवंशी पत्नी मनीष नागवंशी (ANGEETA BELWANSHI W/o. MANISH NAGWANSHI) अंकित हो गया है, जो की गलत है. योगीता नागवंशी पत्नी श्री मनीष नागवंशी (YOGEETA NAGWANSHI W/o. MANISH NAGWANSHI) व अंगीता बेलवंशी पत्नी मनीष नागवंशी (ANGEETA BELWANSHI W/o. MANISH NAGWANSHI) दोनों एक ही महिला हैं. मेरा वास्तविक सही नाम एवं मेरे वोटर आई डी में भी दर्ज हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मेरा नाम योगीता नागवंशी पत्नी श्री मनीष नागवंशी (YOGEETA NAGWANSHI W/o. MANISH NAGWANSHI) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(अंगीता बेलवंशी)
(ANGEETA BELWANSHI)

नया नाम
(योगीता नागवंशी)
(YOGEETA NAGWANSHI)
पत्नी– मनीष नागवंशी
W/o. MANISH NAGWANSHI.

(G-5360)

नाम परिवर्तन

मैं, राम रूप मीना पुत्र श्री गंभीर सिंह मीना, निवासी– ग्राम मजरा चोपनी, कोन्याकलॉ, चाचौड़ा, जिला गुना (म.प्र.). मेरे शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में उसका अंग्रेजी व हिन्दी में नाम व सरनेम कान्हा (KANHA) पुत्र घमंडी लाल (GHAMANDI LAL) दर्ज हो गया है व अन्य शासकीय–अशासकीय दस्तावेजों में उसका नाम व सरनेम राम रूप मीना (RAM ROOP MEENA) पुत्र श्री गंभीर सिंह मीना (GAMBHEER SINGH MEENA) है. मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश कान्हा (KANHA) पुत्र घमंडी लाल (GHAMANDI LAL) दर्ज हो गया है. मेरा सही नाम व सरनेम राम रूप मीना (RAM ROOP MEENA) पुत्र श्री गंभीर सिंह मीना (GAMBHEER SINGH MEENA) है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में इसी नाम व सरनेम से जानी–पहचानी जायेगी.

पुराना नाम
(कान्हा)
(KANHA)
पुत्र– घमंडी लाल
(GHAMANDI LAL)

नया नाम
(राम रूप मीना)
(RAM ROOP MEENA)
पुत्र– गंभीर सिंह मीना
(GAMBHEER SINGH MEENA).

(G-5361)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम गुरुचरण सिहं वधावन जो कि पूर्व नाम आधार कार्ड में बाबु सिहं वधावन था. परन्तु अब मेरा नाम परिवर्तन होकर गुरुचरण सिहं वधावन हो गया है. यह नाम आधार एवं जन्म प्रमाण–पत्र में नाम परिवर्तन कराना हैं. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में भी मुझे गुरुचरण सिहं वधावन के नाम से जाना–पहचाना जावे.

पुराना नाम
(बाबु सिंह वधावन)

नया नाम
(गुरूचरण सिहं वधावन)
पता– श्रीनाथ प्याऊ के पास, 42/6,
मल्हारगंज, इन्दौर (म.प्र.).

(G-5362)

नाम परिवर्तन

मैं, रामछडी बाई पति स्व. झलकन सिंह, मेरे सभी शासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम रामछडी (RAMKALI) अंकित है मेरा नाम रामछडी बाई एवं अंग्रेजी अक्षरों में RAMCHADI BAI है, जो कि सत्य व सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरा नाम हिंदी में रामछडी बाई एवं अंग्रेजी अक्षरों में RAMCHADI BAI के नाम से ही लिखा–पढ़ा, सुना, समझा और दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(रामछडी बाई)
(RAMKALI)

नया नाम
(रामछडी बाई)
RAMCHADI BAI
पति– झलकन सिंह.
W/o. JHALKAN SINGH.

(G-5363)

नाम परिवर्तन

मेरा वास्तविक सही नाम लवकुश सिंह (LOVEKUSH SINGH) है, परन्तु मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश लोकेश सिंह गौतम (LOKESH SINGH GOTAM) पिता धन्नी सिंह गोतम (DHANNI SINGH GOTAM) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा वास्तविक सही नाम लवकुश सिंह (LOVEKUSH SINGH) पिता श्री धनी सिंह है, जो कि मेरे निर्वाचन कार्ड एवं स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र में दर्ज है. मैं, मेरा सही नाम मेरे आधार कार्ड/शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज कराना चाहता हूँ. यह कि लवकुश सिंह (LOVEKUSH SINGH) पिता श्री धनी सिंह व लोकेश सिंह गौतम (LOKESH SINGH GOTAM) पिता धन्नी सिह गोतम (DHANNI SINGH GOTAM) दोनों एक ही व्यक्ति हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे लवकुश सिंह (LOVEKUSH SINGH) पिता श्री धनी सिंह के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(लोकेश सिंह गौतम)
(LOKESH SINGH GOTAM)
पिता– धन्नी सिह गोतम
(DHANNI SINGH GOTAM)

नया नाम
(लवकुश सिंह)
(LOVEKUSH SINGH)
पिता श्री धनी सिंह
(DHANI SINGH)
निवासी– ग्राम घघडार, तहसील मानपुर,
जिला उमरिया (म.प्र.).

(G-5364)

नाम परिवर्तन

मैं, कमलेश शाक्या पुत्र श्री नयनसुख शाक्या, निवासी– म.नं. 35, गली नं. 2, खुशीपुरा, चांदबड़, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश कैलाश (KAILASH) नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे मूल निवास प्रमाण–पत्र, वोटर कार्ड एवं अन्य शैक्षणिक दस्तावेजों पर कमलेश शाक्या (KAMLESH SHAKYA) नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम कमलेश शाक्या (KAMLESH SHAKYA) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(कैलाश)
(KAILASH)

नया नाम
(कमलेश शाक्या)
(KAMLESH SHAKYA).

(G-5365)

नाम परिवर्तन

मैं, मिर्धा सरकार पति राज़ा सरकार, निवासी– ग्राम हांसपुर, तह. मनासा, जिला नीमच (म.प्र.). विवाह के पूर्व मुझे मिर्धा सरकार एवं टीना सरकार दोनों नाम से पुकारा जाता था. मेरा विवाह राजा सरकार के साथ सम्पन्न हुआ है, विवाह पश्चात् मेरे द्वारा अपना नाम मिर्धा सरकार (MIRDHA SARKAR) से परिवर्तित कर टीना सरकार (TEENA SARKAR) घोषित किया है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मुझे टीना सरकार (TEENA SARKAR) के नाम से ही जाना–पहचाना एवं पुकारा जावे.

पुराना नाम
(मिर्धा सरकार)
(MIRDHA SARKAR)

नया नाम
(टीना सरकार)
(TEENA SARKAR).

(G-5366)

नाम परिवर्तन

मैं, रामप्रसाद, पुत्र श्री पन्नालाल, निवासी– ग्राम जमोनिया भाटा, ब्यावरा, जिला राजगढ़ (म.प्र.). मेरी पुत्री का वास्तविक नाम सुनीता वर्मा (Sunita Verma) है, त्रुटिवश आधार कार्ड में मेरी पुत्री का नाम प्रिया वर्मा हो गया है, अब मेरी पुत्री अपने नये नाम सुनीता वर्मा (Sunita Verma) के नाम से जानी जायेगी एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरी पुत्री का यहीं नाम रहेगा.

आवेदक
(राम प्रसाद).

(G-5367)

नाम परिवर्तन

मैं, सविता पत्नी श्री चंद्रभान, निवासी–76/987, मोतिया तालाब, भोपाल, अहीरपुरा, जहाँगीराबाद, भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड एवं पैन कार्ड में त्रुटिवश बबली (BABLI) नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे निवास प्रमाण–पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में सविता (SAVITA) नाम दर्ज है, जो कि सही है, अतः प्रकाशन उपरांत मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम सविता (SAVITA) पत्नी श्री चंद्रभान, के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(बबली)
(BABLI)

नया नाम
(सविता)
(SAVITA)
पत्नी– श्री चंद्रभान.

(G-5368)

नाम परिवर्तन

मेरा वास्तविक सही नाम आशीष मेवाड़ा पिता हुकम मेवाड़ा (ASHISH MEWADA S/o. HUKAM MEWADA) है, परन्तु मेरा नाम आधार कार्ड में त्रुटिवश हिन्दी में आशीष मेवाडा पिता हुकम चंद्र एवं अंग्रेजी में Draashish Mewada S/o. Hukam Chandra दर्ज हैं, जो कि गलत है. मेरा नाम निर्वाचन कार्ड/वोटर आई.डी. में सही नाम आशीष मेवाड़ा पिता हुकम मेवाड़ा (ASHISH MEWADA S/o. HUKAM MEWADA) दर्ज हैं. मैं, अपना सही नाम अपने शैक्षणिक/अशैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज कराना चहाता हूँ. यह कि आशीष मेवाड़ा पिता हुकम मेवाड़ा (ASHISH MEWADA S/o. HUKAM MEWADA) व आशीष मेवाडा पिता हुकम चंद्र (Draashish Mewada S/o. Hukam Chandra) दोनों एक ही व्यक्ति हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे आशीष मेवाड़ा पिता हुकम मेवाड़ा (ASHISH MEWADA S/o. HUKAM MEWADA) के नाम से जाना–पहचाना व पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(आशीष मेवाडा)
Draashish Mewada
पिता– हुकम चंद
S/o. Hukam Chandra

नया नाम
(आशीष मेवाड़ा)
(ASHISH MEWADA)
पिता– हुकम मेवाड़ा
S/o. HUKAM MEWADA.

(G-5369)

नाम परिवर्तन

मैं, वीरेंद्र सिंह लोधी पिता श्री तुलसीराम लोधी, निवासी– ग्राम चमराई, पोस्ट बीलाखेड़ी, बहादुरपुर, अशोक नगर (म.प्र.). मेरा सही नाम वीरेंद्र सिंह लोधी पिता श्री तुलसीराम लोधी हैं, परन्तु मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम लाला राम पिता तुरसी अंकित हो गया हैं, जो कि गलत है, यह कि वीरेंद्र सिंह लोधी पिता श्री तुलसीराम लोधी व लाला राम पिता तुरसी दोनों एक ही व्यक्ति हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मेरा नाम वीरेंद्र सिंह लोधी पिता श्री तुलसीराम लोधी के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(लाला राम)
पिता– तुरसी

नया नाम
(वीरेंद्र सिंह लोधी)
पिता– श्री तुलसीराम लोधी.

(G-5370)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम/उपनाम चंदर सिंह वरकड़े (CHANDAR SINGH WARKADE) एवं चमरा सिंह (CHAMRA SINGH) है. जिसके स्थान पर मैं, अपना नाम/उपनाम चमरा सिंह वरकड़े (CHAMRA SINGH WARKADE) अपने समस्त दस्तावेजों में करवाना चाहता हूँ. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मैं, चमरा सिंह वरकड़े (CHAMRA SINGH WARKADE) के नाम से जाना व पहचाना जाऊँगा.

प्रार्थी
(चमरा सिंह वरकड़े)
आत्मज– श्री भद्देलाल
पता– एम.आई.जी. 26, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी,
सीहोर (म.प्र.).

(G-5371)

नाम परिवर्तन

मैं, रामा पुत्र श्री शंकर जी, निवासी–79, ग्राम खजुरिया मंसूर, पोस्ट सेमलिया, तहसील महीदपुर, जिला उज्जैन (म.प्र.). मेरे शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मेरा अंग्रेजी व हिन्दी में नाम व सरनेम रामलाल बरगुन्डा (RAMLAL BARGUNDA) पुत्र शंकर लाल (SHANKAR LAL) दर्ज हो गया है व अन्य शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में मेरो नाम व सरनेम रामा (RAMA) पुत्र श्री शंकर जी (SHANKAR JI) है. मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश रामलाल बरगुन्डा (RAMLAL BARGUNDA) पुत्र शंकर लाल (SHANKAR LAL) दर्ज हो गया है. मेरा सही नाम व सरनेम रामा (RAMA) पुत्र श्री शंकर जी (SHANKAR JI) है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में इसी नाम व सरनेम से जाना–पहचाना जाऊँगा.

पुराना नाम	नया नाम
(रामलाल बरगुन्डा)	(रामा)
(RAMLAL BARGUNDA)	(RAMA)
पुत्र– शंकर लाल	पुत्र – शंकर जी
(SHANKAR LAL)	(SHANKAR JI).

(G-5372)

नाम परिवर्तन

मैं, रणवीर पुत्र शिवचरन सिंह, जाति कुशवाह, निवासी– रामपुरा, पोस्ट खेड़ा मेवदा, तह. व जिला मुरैना (म.प्र.). मेरे पैन कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम रणवीर (Ranvir) दर्ज है, जो सही है और मेरा ही नाम है. मेरे आधार कार्ड में नाम रणवीर सिंह (Ranvir Singh) दर्ज कर दिया गया है, जो गलत है, मेरा सही नाम रणवीर है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम रणवीर के नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

प्रार्थी
(रणवीर)
पुत्र– शिवचरन सिंह.

(G-5373)

उपनाम परिवर्तन

मैं, अनवर मोहम्मद पिता श्री निसार मोहम्मद, निवासी– म.नं. 901, शाहजहानाबाद थाने के पीछे, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरा नाम आधार कार्ड में अनवर मो पिता मोहम्मद निसार (ANWAR MOHD S/o. MOHAMMED NISAR) अंकित हैं, जो कि मेरा उपनाम अधुरा है व मेरे पिता के उपनाम कि स्पेलिंग में त्रुटि है, मेरा सही नाम अनवर मोहम्मद पिता निसार मोहम्मद (ANWAR MOHAMMAD S/o. NISAR MOHAMMAD) है. यह कि अनवर मोहम्मद पिता निसार मोहम्मद (ANWAR MOHAMMAD S/o. NISAR MOHAMMAD) व अनवर मो पिता मोहम्मद निसार (ANWAR MOHD S/o. MOHAMMED NISAR) दोनों एक ही व्यक्ति हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मेरा नाम अनवर मोहम्मद पिता निसार मोहम्मद (ANWAR MOHAMMAD S/o. NISAR MOHAMMAD) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(अनवर मो)	(अवनर मोहम्मद)
(ANWAR MOHD)	(ANWAR MOHAMMAD)
पिता–मोहम्मद निसार	पिता– निसार मोहम्मद
(S/o. MOHAMMED NISAR)	(S/o. NISAR MOHAMMAD).

(G-5374)

नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व का नाम रीना (REENA) को परिवर्तित कर नया नाम रिंकू (RINKU) हो गया है. इससे पूर्व मेरे स्वयं का नाम रीना (REENA) था मेरी पुत्री के शैक्षणिक दस्तावेजों में रिंकू (RINKU) नाम दर्ज है एवं मेरे स्वयं के आधार कार्ड में पूर्व नाम रीना के स्थान पर नया नाम रिंकू (RINKU) किया जावे. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे समस्त दस्तावेजों में जहां पुराना नाम रीना दर्ज था उसके स्थान पर नया नाम रिंकू (RINKU) पढ़ा और लिखा जावे.

पुराना नाम
(रीना)
(REENA)

नया नाम
(रिंकू)
(RINKU).

(G-5375)

नाम परिवर्तन

मैं, ज्ञानेश्वर वघाले (Dnyaneshwar Waghale) पुत्र श्री सुधाकर वघाले, निवासी– गुरूदेव वार्ड, पांढूर्ना, छिन्दवाड़ा (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रूटिवश मेरा नाम ज्ञानेश्वर वघाले (Gyaneshwar Waghale) अंकित है, जबकि मेरा सही नाम ज्ञानेश्वर वघाले (Dnyaneshwar Waghale) है. यह दोनों नाम मेरे ही हैं, अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम ज्ञानेश्वर वघाले (Dnyaneshwar Waghale) पुत्र श्री सुधाकर वघाले के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम
(ज्ञानेश्वर वघाले)
(Gyaneshwar Waghale)

नया नाम
(ज्ञानेश्वर वघाले)
(Dnyaneshwar Waghale).

(G-5376)

नाम परिवर्तन

मैं, अंकित आत्मज गोरेलाल, निवासी– वार्ड नं. 01, ग्राम सुलगांव, तहसील खातेगांव, जिला देवास (म.प्र.). मेरा नाम अंकित (ANKIT) आत्मज गोरेलाल है, आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम अंकित टाटू आत्मज गोरेलाल टोटू दर्ज है. अब मैं, अपना नया नाम अंकित (ANKIT) आत्मज गोरेलाल दर्ज कराना चाहता हूँ, अतः प्रकाशन उपरांत मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा यही नाम रहेगा.

पुराना नाम
(अंकित टाटू)
(ANKIT TATU)

नया नाम
(अंकित)
(ANKIT).

(G-5377)

नाम परिवर्तन

मैं, कामता प्रसाद बैस आत्मज श्री भोनी प्रसाद, निवासी–1/1, ब्लॉक नं. 01, राजभवन केम्पस, मालवीय नगर, हुजूर, भोपाल (म.प्र.). मेरे शासकीय अभिलेख में कान्ता प्रसाद (KANTA PRASAD) पुत्र मौनी प्रसाद (MONI PRASAD) नाम दर्ज है, जो कि गलत है, जबकि मेरे समस्त दस्तावेजों पर कामता प्रसाद बैस (KAMTA PRASAD BESH) पुत्र भोनी प्रसाद (BHONI PRASAD) नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत समस्त दस्तावेजों में सही नाम कामता प्रसाद बैस (KAMTA PRASAD BESH) पुत्र भोनी प्रसाद (BHONI PRASAD) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(कान्ता प्रसाद)
(KANTA PRASAD)
पुत्र– मौनी प्रसाद
(MONI PRASAD)

नया नाम
(कामता प्रसाद बैस)
(KAMTA PRASAD BESH)
पुत्र– भोनी प्रसाद
(BHONI PRASAD).

(G-5378)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम आस्था सिंह रामपूरे (ASTHA SINGH RAMPURE) पिता श्री मनोज कुमार रामपूरे (MANOJ KUMAR RAMPURE) माता ज्योति रामपूरे (JYOTI RAMPURE) है, किन्तु मेरे कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों पर मेरा नाम आस्था सिंह रामपूरे (ASTHA SINGH RAMPURE) पिता श्री मनोज सिंह रामपूरे (MANOJ SINGH RAMPURE) माता ज्योति सिंह रामपूरे (JYOTI SINGH RAMPURE) दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे सभी दस्तावेजों पर मेरा सही नाम आस्था सिंह रामपूरे (ASTHA SINGH RAMPURE) पिता श्री मनोज कुमार रामपूरे (MANOJ KUMAR RAMPURE) माता ज्योति रामपूरे (JYOTI RAMPURE) लिखा–पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना–पहचाना व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(आस्था सिंह रामपूरे)
(ASTHA SINGH RAMPURE)
पिता– मनोज सिंह रामपूरे
माता– ज्योति सिंह रामपूरे

नया नाम
(आस्था सिंह रामपूरे)
(ASTHA SINGH RAMPURE)
पिता– मनोज कुमार रामपूरे
माता– ज्योति रामपूरे
पता– 36, अशोक विहार, कॉलोनी, राऊ,
जिला इन्दौर (म.प्र.).

(G-5379)

उपनाम परिवर्तन

मेरा सही नाम धन बहादुर घरतीमगर (DHAN BAHADUR GHARTIMAGAR) पिता श्री इन्द्र बहादुर है, जो कि मेरे आधार कार्ड, वोटर कार्ड एवं पैन कार्ड पर दर्ज है, किन्तु मेरे कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों पर त्रुटिवश मेरा अधूरा नाम धन बहादुर (DHAN BAHADUR) पिता इन्द्र बहादुर दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजों पर मेरा सही नाम धन बहादुर घरतीमगर (DHAN BAHADUR GHARTIMAGAR) पिता श्री इन्द्र बहादुर लिखा--पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना–पहचाना व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(धन बहादुर)
(DHAN BAHADUR)

नया नाम
(धन बहादुर घरतीमगर)
(DHAN BAHADUR GHARTIMAGAR)
पिता– इन्द्र बहादुर
पता– 31/16, सी.आर.पी. लाइन,
जिला इन्दौर (म.प्र.).

(G-5380)

उपनाम परिवर्तन

मेरा सही नाम गजेन्द्र कुमार धोलपुरे (GAJENDRA KUMAR DHOLPURE) पिता श्री अमनलाल धोलपुरे है जो कि मेरे आधार कार्ड, वोटर कार्ड एवं पैन कार्ड पर दर्ज है, किन्तु मेरे कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों पर त्रुटिवश मेरा अधूरा नाम गजेन्द्र कुमार (GAJENDRA KUMAR) पिता अमनलाल हो गया है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे सभी दस्तावेजों पर मेरा सही नाम गजेन्द्र कुमार धोलपुरे (GAJENDRA KUMAR DHOLPURE) पिता श्री अमनलाल धोलपुरे लिखा–पढ़ा जावे एव इसी नाम से जाना–पहचाना व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(गजेन्द्र कुमार)
(GAJENDRA KUMAR)

नया नाम
(गजेन्द्र कुमार धोलपुरे)
(GAJENDRA KUMAR DHOLPURE)
पिता– अमनलाल धोलपुरे
पता– 60, न्यू पलासिया,
जिला इन्दौर (म.प्र.).

(G-5381)

उपनाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का सही नाम अमन साह (AMAN SAH) पिता गोरख साह है, जो कि उसके जन्म प्रमाण–पत्र पर अंकित है, किन्तु मेरे पुत्र के आधार कार्ड पर त्रुटिवश उसका नाम अमन गुप्ता (AMAN GUPTA) पिता गोरख साह दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र के सभी दस्तावेजों पर अमन गुप्ता के स्थान पर उसका सही नाम अमन साह (AMAN SAH) पिता गोरख साह लिखा–पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना–पहचाना व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(अमन गुप्ता)
(AMAN GUPTA)

नया नाम
(अमन साह)
(AMAN SAH)
पिता– गोरख साह
पता– 1/1, जगदीश नगर, बाणगंगा,
जिला इन्दौर (म.प्र.).

(G-5382)

नाम परिवर्तन

विवाह पूर्व मेरा नाम हर्सी शर्मा (HARSI SHARMA) पिता श्री सुनील शर्मा था, जो कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों एवं मेरे आधार कार्ड पर अंकित है. श्री ललित शर्मा से विवाह के उपरान्त मेरा नाम अंजली शर्मा (ANJALI SHARMA) हो गया है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे सभी दस्तावेजों पर मेरा परिवर्तित नाम अंजली शर्मा (ANJALI SHARMA) पति ललित शर्मा लिखा–पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना–पहचाना व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(हर्सी शर्मा)
(HARSI SHARMA)

नया नाम
(अंजली शर्मा)
(ANJALI SHARMA)
पति– ललित शर्मा
पता– 73, ग्राम नावंदा पंथ,
जिला इन्दौर (म.प्र.).

(G-5383)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम रक्षा यादव पिता बहादुर सिंह यादव (RAKSHA YADAV D/o. BAHADUR SINGH YADAV) हैं, परंतु मेरा नाम आधार कार्ड में त्रुटिवश चिन्टी यादव पिता बहादुर सिंह यादव (Chinti Yadav D/o. Bahadur Singh Yadav) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. यह कि रक्षा यादव पिता बहादुर सिंह यादव (RAKSHA YADAV D/o. BAHADUR SINGH YADAV) व चिन्टी यादव पिता बहादुर सिंह यादव (Chinti Yadav D/o. Bahadur Singh Yadav) दोनों एक ही महिला हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मेरा नाम रक्षा यादव पिता बहादुर सिंह यादव (RAKSHA YADAV D/o. BAHADUR SINGH YADAV) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(चिन्टी यादव)
(Chinti Yadav)

नया नाम
(रक्षा यादव)
(RAKSHA YADAV)
पिता– बहादुर सिंह यादव
(BAHADUR SINGH YADAV).

(G-5384)

नाम परिवर्तन

मैं, मानसी स्वामी पुत्री श्री रोडनी सालोमन, निवासी– 41, अभिनव केम्पस, खजूरीकलॉ रोड, पटेल हार्डवेयर के पास, पिपलानी, भोपाल (म.प्र.) के शासकीय दस्तावेजों में त्रुटिवश पिता का नाम श्री परमेश्वर स्वामी अंकित हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे जन्म प्रमाण–पत्र में मेरे पिता का नाम श्री रोडनी सालोमन दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में मुझे मानसी स्वामी पुत्री श्री रोडनी सालोमन के नाम से लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(मानसी स्वामी)
पुत्री– श्री परमेश्वर स्वामी

नया नाम
(मानसी स्वामी)
सरक्षंक पुत्री– श्री रोडनी सालोमन.

(G-5385)

नाम परिवर्तन

मैं, विक्रांत स्वामी पुत्र श्री रोडनी सालोमन, निवासी– 41, अभिनव केम्पस, खजूरीकलॉ रोड, पटेल हार्डवेयर के पास, पिपलानी, भोपाल (म.प्र.) के शासकीय दस्तावेजों में त्रुटिवश पिता का नाम श्री परमेश्वर स्वामी अंकित हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे जन्म प्रमाण–पत्र में मेरे पिता का नाम श्री रोडनी सालोमन दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में मुझे विक्रांत स्वामी पुत्री श्री रोडनी सालोमन के नाम से लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(विक्रांत स्वामी)
पुत्र– श्री परमेश्वर स्वामी

नया नाम
(विक्रांत स्वामी)
सरक्षंक पुत्र– श्री रोडनी सालोमन.

(G-5386)

नाम परिवर्तन

मैं, एम.डी. रेहान पिता मुस्तकीम अंसारी, पता– सरसवाहराज जयंत, थाना विंध्यनगर, तहसील व जिला सिंगरौली (म.प्र.). मेरी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अंक विवरणिका सह प्रमाण–पत्र माध्यमिक विद्यालय परीक्षा अंकसूची में मेरी माताजी का गलत नाम जवीना खातून एवं पिताजी का गलत नाम मुस्तकीम लिखा गया है, माता का सही नाम जबीना बेगम (JABEENA BEGAM) और पिताजी का सही नाम मुस्तकीम अंसारी (MUSTKIM ANSARI) है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी अंकसूची में मेरे माता–पिता का सही नाम लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थी
(एम.डी. रेहान).

(G-5387)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम गेंदालाल पुत्र किशनलाल (GENDALAL S/o. KISHANLAL), निवासी– ग्राम विल हिनोति, तहसील डिस्ट्रिक्ट, सिहोर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम बाबूलाल साहू (BABULAL SAHU) अंकित हो गया हैं, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरे ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आई.डी., मार्कशीट में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरा नाम गेंदालाल पुत्र किशनलाल (GENDALAL S/o. KISHANLAL) से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(बाबूलाल साहू)
(BABULAL SAHU)

नया नाम
(गेंदालाल)
(GENDALAL)
पुत्र– किशनलाल
S/o. KISHANLAL.

(G-5388)

नाम परिवर्तन

विवाह के पूर्व मेरा नाम सीता गुप्ता (SITA GUPTA) था. मेरे विवाह के उपरांत मेरा नाम सीमा गुप्ता (SEEMA GUPTA) हो गया है. मेरे आधार कार्ड में तथा मेरे पैन कार्ड में भी मेरा नाम सीमा गुप्ता (SEEMA GUPTA) लिखा हुआ है. यह कि सीता गुप्ता (SITA GUPTA) एवं सीमा गुप्ता (SEEMA GUPTA) दोनों ही नाम एक ही महिला के हैं. शादी के पूर्व व शादी के बाद के हैं. भविष्य में मेरा नाम सीमा गुप्ता (SEEMA GUPTA) ही रहेगा. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे सीमा गुप्ता (SEEMA GUPTA) नाम से समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं बैंक के दस्तावेजों एवं बैंक में जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी
(सीमा गुप्ता)
पति– श्री दुर्गेश गुप्ता
निवासी– क्वाटर नं. 187, सरकारी स्कूल के पास,
लाइन नं. 1, हजीरा, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-5389)

नाम परिवर्तन

मैं, करण पिता बदा डावर, मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश नन्लिया बारेला लिखा गया है, जबकि मेरे दस्तावेजों में मेरा नाम करण पिता बदा डावर लेखबध्द है. अतः प्रकाशन उपरांत नन्लिया बारेला के स्थान पर करण पिता बदा डावर के नाम से शासकीय व अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(नन्लिया बारेला)

नया नाम
(करण)
पिता– बदा डावर
निवासी– वार्ड नं. 11, मिडिल स्कूल के पास,
डवालीखुर्द, जिला बुरहानपुर (म.प्र.).

(G-5390)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम कृष्णकांत गौर पुत्र राजेंद्र गौर (KRISHNAKANT GOUR S/o. RAJENDRA GOUR), निवासी– ग्राम गुनौरा, तहसील डोलरिया, जिला होशंगाबाद (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम कृष्णा गौर पुत्र राजेंद्र गौर (KRISHNA GOUR S/o. RAJENDRA GOUR) अंकित हो गया है, जो कि गलत है, मेरे पुत्र सही नाम उसके शैक्षणिक दस्तावेजों, जन्म प्रमाण–पत्र में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र का नाम कृष्णकांत गौर पुत्र राजेंद्र गौर (KRISHNAKANT GOUR S/o. RAJENDRA GOUR) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(कृष्णा गौर)
(KRISHNA GOUR)

नया नाम
(कृष्णकांत गौर)
(KRISHNAKANT GOUR)
पुत्र– राजेंद्र गौर
S/o. RAJENDRA GOUR.

(G-5391)

Change of Name

General Public be hareby notified that, I am Saeeda Vineeta @ Vineeta Bhatnagar, D/o. Shri Vijay Kant Bhatnagar W/o. Syed Zishan Ali Warsi, R/o,C2/13, Tilak Lane, New Delhi (मूल निवासी मध्यप्रदेश). My name is written as Vineeta Bhatnagar (विनीता भटनागर) in all my marksheets, certificates and official records. I adopted my hasband's title atfer marriage, but due to spelling error it became Saeeda Vineeta. Now I am gatting my name corrected as Vineeta Warsi (विनीता वारसी) in all records. Hereafter, for all purposes, I shall be known as Vineeta Warsi (विनीता वारसी).

आवेदिका
(Vineeta Warsi)
W/o. Syed Zishan Ali Warsi.

(G-5392)

नाम परिवर्तन

मैं, बृजकिशोर विश्वकर्मा आत्मज श्री बाबूलाल विश्वकर्मा, निवासी–वार्ड नं. 10, बीडा, जिला रीवा (म.प्र.). मेरी पुत्री "लक्ष्मी विश्वकर्मा पुत्री श्री बृजकिशोर विश्वकर्मा का नाम आधार कार्ड में "Lakshmi Vishwakarma" टंकण त्रुटि के कारण दर्ज हो गया है जिसे अंकसूची एवं जन्म प्रमाण–पत्र के आधार अनुसार "Laxmi Vishwakarma" किया जाना है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरी पुत्री इसी नाम से "Laxmi Vishwakarma" से जाना–पहचाना जावे एवं समस्त शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में भी दर्ज किया जावे.

आवेदक
(बृजकिशोर विश्वकर्मा).

(G-5393)

नाम परिवर्तन

मैं, साबरा बेगम पत्नी स्व. श्री सत्तार शेख, निवासी– वार्ड नं. 26, नया मुहल्ला, मस्तान शाह बाबा के पास, छतरपुर तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम गुडिया (Gudiya) पुत्री सहीद (Saheed) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरी पुत्री का सही नाम माशूमा खातून (Musuma Khatoon) पुत्री स्व. शेख सत्तार (Shekh Sattar) है. जो कि मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण–पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में भी दर्ज है. जो कि सही एवं सत्य है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को उसके सही नाम माशूमा खातून (Musuma Khatoon) पुत्री स्व. शेख सत्तार (Shekh Sattar) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदिका
(साबरा बेगम).

(G-5394)

उपनाम परिवर्तन

मेरा नाम पूर्व में ओम प्रकाश आरक (Om Prakash Arak) था को परिवर्तित कर नया नाम ओम प्रकाश आरक (Om Prakash Aarak) पिता स्व. श्री ऊखाडू आरक हो गया है. इससे पूर्व मुझे नाम ओम प्रकाश आरक (Om Prakash Arak) के नाम से जाना और पहचाना जाता था. अब मेरा नया नाम ओम प्रकाश आरक (Om Prakash Aarak) पिता स्व. श्री ऊखाडू आरक हो गया है. अतः प्रकाशन उपरांत अब मेरे विभाग में पुराना नाम (Om Prakash Arak) के स्थान पर नया नाम (Om Prakash Aarak) पढ़ा और लिखा जावे.

पुराना नाम
(ओम प्रकाश आरक)
(Om Prakash Arak)

नया नाम
(ओम प्रकाश आरक)
(Om Prakash Aarak).

(G-5395)

नाम परिवर्तन

मैं, गंगादास बैरागी आत्मज स्व. श्री सीताराम दास बैरागी, मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम गंगादास वैष्णव बैरागी अंकित हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरांत गंगादास बैरागी आ० स्व. सीताराम दास बैरागी नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(गंगादास वैष्णव बैरागी)

नया नाम
(गंगादास बैरागी)
निवासी– वार्ड क्र. 09, होलीपुरा,
पोस्ट व तहसील बैरसिया, भोपाल (म.प्र.).

(G-5396)

नाम परिवर्तन

मैं, हफीजुद्दीन तनय हबीबुद्दीन, निवासी हाऊस नं.–75, ग्राम सरइयन, पोस्ट कौहारी, तहसील मझगंवा, जिला सतना (म.प्र.). मेरे पैन कार्ड एवं वोटर आई.डी. कार्ड में मेरा सही नाम हफीजुद्दीन तनय हबीबुद्दीन है, परंतु मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश निजामुद्दीन दर्ज हो गया है, जो गलत है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे आधार कार्ड में मेरे भाई निजामुद्दीन के नाम की जगह मेरा नाम हफीजुद्दीन पढ़ा जावे.

आवेदक

(हफीजुद्दीन तनय हबीबुद्दीन).

(G-5397)

उपनाम परिवर्तन

मेरा नाम स्कूल शाला अभिलेख एवं अन्य शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में सेवा पुस्तिका अभिलेखों में, अतुल सांखले लिखा हुआ है. मैं, वर्तमान में अपना सरनेम परिवर्तित करके सांखला कराना चाहता हूँ. अतः प्रकाशन उपरांत वर्तमान में अपने नये नाम अतुल सांखला पिता रामेश्वर सांखला से ही जाना–पहचाना एवं पुकारा जावेगा.

पुराना नाम
(अतुल सांखले)
(ATUL SANKHALE)
पिता– रामेश्वर सांखले
(S/o. RAMESHVAR SANKHALE)

नया नाम
(अतुल सांखला)
(ATUL SANKHLA)
पिता– रामेश्वर सांखला
(S/o. RAMESHVAR SANKHALA)
निवासी– म.नं. 137, गांधी चौक,
तहसील एवं जिला बुरहानपुर (म.प्र.).

(G-5398)

नाम परिवर्तन

मैं, बबली चढार पुत्री स्व. श्री जयराम चढार पत्नी स्व. श्री वृजभान चौहान, निवासी– गौर नगर, मकरोनिया, सागर तहसील व जिला सागर (म.प्र.). मेरा नाम बबली चढार है जो मेरी कक्षा 8वीं की पूर्व माध्यमिक परीक्षा में लिखा हुआ है एवं विवाह के पश्चात् मेरा नाम सुनीता पति वृजभान चाहौन हो गया है तथा मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम सुनीता पति वृजभान सिंह चौहान लिखा हुआ है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे बबली चौहान के नाम से जाना–पहचाना जावे.

प्रार्थिनी

(बबली चौहान).

(G-5399)

नाम परिवर्तन

मैं, विक्रम सिंह आ. पदम सिंह, निवासी–ग्राम सेमरीकलां, सीहोर (म.प्र.). मेरी पुत्री मधु का नाम उसके आधार कार्ड में नेहा लिखा है, जो कि त्रुटिपूर्ण है, मेरी पुत्री का सही नाम मधु पुत्री विक्रम सिंह है, जो उसकी अंकसूची व अन्य समग्र आई. डी. दस्तावेजों में लिखा है, अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को मधु पुत्री विक्रम सिंह के नाम से जाना–पहचाना जावे.

आवेदक

(विक्रम सिंह)

(G-5400)

नाम परिवर्तन

मैं, हेमेन्द्र कुमार सैयाम पिता जमना प्रसाद सैयाम, निवासी– मकान नं. 62/2, वार्ड नं. 4, ग्राम भीमलाट बिरसा, बहेराखर मलाजखड, बालाघाट (म.प्र.). मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम हेमेन्द्र कुमार सैयाम दर्ज है, मैं, अपने सर्विस रिकार्ड में दर्ज नाम हेमेन्द्र कुमार सैयाम के स्थान पर हेमेन्द्र सैयाम दर्ज कराना चाहता हूँ. मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड में मेरा नाम हेमेन्द्र सैयाम दर्ज है तथा हेमेन्द्र कुमार सैयाम व हेमेन्द्र सैयाम दोनों ही नाम मुझ एक ही व्यक्ति के हैं. सेवा–पुस्तिका में मेरा सही नाम हेमेन्द्र सैयाम दर्ज किया जावे. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मुझे हेमेन्द्र सैयाम के नाम से जाना–पहचाना लिखा–पढ़ा व समझा जावे.

प्रार्थी
(हेमेन्द्र सैयाम).

(G-5401)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती रेशम बाई पत्नी श्री राधेश्याम, निवासी–म.नं 113, स्कूल के पास, ग्राम बोरखेड़ी, टीलाखेड़ी तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरा पूर्व का नाम श्रीमती गुड्डी बाई के उपयोग को पूर्णतः त्यागती हूँ, तथा आधार कार्ड, विलेख/दस्तावेजों में सुधार करवाना चाहती हूं और उसके स्थान पर अपना सही नाम रेशम बाई करती हूं. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे रेशम बाई के नाम से ही पुकारा एवं जाना–पहचाना जावे.

प्रार्थिनी
(रेशम बाई).

(G-5402)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, भागीदारी फर्म "मेसर्स भोपाल ग्लास एण्ड टेन्ट स्टोर्स" पंजीयन क्रमांक 01/01/01/00051/06 सन् 2006 –2007, दिनांक 6 जुलाई 2006 पंजीकृत फर्म हैं. यह कि, संशोधित भागीदारी अभिलेख दिनांक 25 अगस्त 2025 के अनुसार इस फर्म के भागीदार मोहम्मद अयूब खान वल्द स्व. अब्दुल मजीद खान जी का दिनांक 24 अगस्त 2025 को इंतकाल (देहांत) होने के कारण वह स्वतः ही इस भागीदारी फर्म से पृथक् (बाहर) हो गये हैं. वर्तमान में इस भागीदारी फर्म का संचालन (1) मोहम्मद इब्राहीम खान पुत्र स्व. श्री मोहम्मद जावेद (2) मोहम्मद इस्माईल खान पुत्र स्व. श्री मोहम्मद अयूब खान तथा (3) मोहम्मद ज़ैद खान पुत्र स्व. श्री मोहम्मद अयूब द्वारा आपसी सहमति से किया जा रहा है.

"मेसर्स भोपाल ग्लास एण्ड टेन्ट स्टोर्स"
मोहम्मद ज़ैद खान
(भागीदार).

(G-5403)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, भागीदारी फर्म "MAX MULTI SPECIALITY BHOPAL HOSPITAL" पंजीयन क्रमांक 01/01/01/0317/17 सन् 2017–2018, दिनांक 28 अक्टूबर 2017 पंजीकृत फर्म हैं. यह कि, संशोधित भागीदारी फर्म दिनांक 21 सितम्बर 2024 के अनुसार इस भागीदारी फर्म में (1) श्रीमती रंजना मीना पुत्री श्री जगदीश मीना, निवासी– वार्ड नं. 16, कलिका नगर, पिपरिया रोड, होशंगाबाद तथा (2) श्री गोविन्द मीना पुत्र श्री हरीराम, निवासी– म.नं. 15, वार्ड नं. 14. बिजली खम्बे के पास, आमखेड़ी, वीटीसी, बछवाड़ा, होशंगाबाद इन दोनों को आपसी सहमति से सम्मिलित किया गया है तथा (1) डॉ. जीशान अहमद पुत्र श्री निशार अहमद, निवासी– म.नं. 03, मिलेनियम मियूज, सिंगारचोली, एयरपोर्ट रोड, भोपाल तथा (2) डॉ. नीरज गुप्ता पुत्र श्री ओम प्रकाश गुप्ता, निवासी– म.नं.– 514, न्यू मिनाल रेसीडेन्सी ट्यूलिप, जे.के. रोड, भोपाल अपनी स्वेच्छा से इस भागीदारी फर्म से पृथक् (अलग) हो रहे हैं.

"MAX MULTI SPECIALITY BHOPAL HOSPITAL"
रंजना मीना
(भागीदार).

(G-5404)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती अंजली रायकवार पत्नी श्री खेमचंद रायकवार, निवासी– S–627, नेहरू नगर, भोपाल (म.प्र.). मेरे पुत्र का नाम विभिन्न अभिलेखों में अलग–अलग प्रकार से दर्ज है. जन्म प्रमाण–पत्र में कृष उर्फ कृष्णा, आधार कार्ड में कृष्णा, अंकसूची एवं जाति प्रमाण–पत्र में कृष्णा रायक़वार, जबकि मेरे पुत्र का सही एवं पूर्ण नाम "कृष्णा रायकवार" है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे पुत्र को सभी शासकीय एवं अशासकीय अभिलेखों, प्रमाण–पत्रों एवं दस्तावेज़ों में केवल "कृष्णा रायकवार" नाम से ही जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

आवेदिका
(अंजली रायकवार)
पत्नी– श्री खेमचंद रायकवार.

(G-5405)

नाम परिवर्तन

मैं, PERUMAL KRISHNAMURTY AIYER आत्मज G PERUMAL AIYER, निवासी E-7, Block N.-1, Shastri Nagar, Huzur, Bhopal (M.P.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम "P.K. Ayyar" दर्ज हो गया है, जबकि मेरा सही एवं पूर्ण नाम "PERUMAL KRISHNAMURTY AIYER" है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे आधार कार्ड एवं अन्य अभिलेखों में जहाँ–जहाँ मेरा नाम "P.K. Ayyar" अंकित है, उसे सुधारकर "PERUMAL KRISHNAMURTY AIYER" पढ़ा एवं लिखा जावे.

प्रार्थी
(PERUMAL KRISHNAMURTY AIYER).

(G-5406)

नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व में नाम शुभम वर्मा पुत्र श्री विनय वर्मा, निवासी– कलार मोहल्ला, कस्बा सीहोर, तहसील व जिला सीहोर (म.प्र.) के नाम से जाना व पहचाना जाता था, जबकि मेरा सही नाम शुभम श्रीवास्तव पुत्र श्री विनय वर्मा है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे शुभम श्रीवास्तव पुत्र विनय वर्मा के नाम से जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

प्रार्थी
(शुभम वर्मा)
आत्मज– विनय वर्मा.

(G-5407)

नाम परिवर्तन

मैं, उमेश चन्द्र राठौर पिता राजमणि साहू, निवासी– वार्ड नम्बर 31, गली नं. 07, साहू मोहल्ला, धवारी सतना, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना (म.प्र.). मैं, स्वयं उमेश चन्द्र राठौर पिता श्री राजमणि साहू का पुत्र हूं, मुझे उमेश चन्द्र राठौर पिता श्री राजमणि साहू के नाम से जाना–पहचाना जाए. अतः प्रकाान उपरांत मेरा सही नाम उमेश चन्द्र राठौर पिता श्री राजमणि साहू लिखा–पढ़ा एवं जाना–पहचाना जावे.

प्रार्थी
(उमेश चन्द्र राठौर)
पिता– राजमणि साहू.

(G-5408)

नाम परिवर्तन

मेरे द्वारा अपने जन्म नाम बिठलेश शर्मा आत्मज श्री शिवप्रसाद शर्मा के स्थान पर अपना नाम स्वेच्छा पूर्वक "विवेक शर्मा" परिवर्तित किया गया है. मैं, अब इसी नाम से समस्त कार्य संपादित करूंगा. मेरा परिवर्तित नाम "विवेक शर्मा" लिखा–पढ़ा व समझा जावे तथा अब इसी नाम से जाना–पहचाना व सम्बोधित किया जावे एवं सभी शासकीय–अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

प्रार्थी
(विवेक शर्मा).

(G-5409)

नाम परिवर्तन

मैं, सतपालसिंह राठौर पिता दलपतसिंह जी राठौर, निवासी– ग्राम शेरपुर, तहसील पिपलौदा, जिला रतलाम (म.प्र.). मेरा सही नाम सतपालसिंह राठौर है, जो कि मेरे समस्त शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में अंकित है, किन्तु आधार कार्ड में त्रुटिवश सत्यपालसिंह हो गया है. अतः प्रकाशन उपरांत आधार कार्ड में सत्यपालसिंह की जगह पर सतपालसिंह राठौर के नाम से जाना–पहचाना जावे.

प्रार्थी
(सतपालसिंह राठौर)
पिता– दलपतसिंह जी राठौर.

(G-5410)

नाम परिवर्तन

मैनें अपना नाम ABHI SINGH BHADAURIYA से बदलकर ABHAY BHADOURIYA रख लिया है, मुझे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/एल.आई.सी. की पॉलिसी एवं अन्य दस्तावेजों में मेरे नये नाम ABHAY BHADOURIYA के नाम से जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(ABHI SINGH BHADAURIYA)

नया नाम
(ABHAY BHADOURIYA)
S/o. AJAY SINGH BHADOURIYA
निवासी– B- 100, B-BLOCK शताब्दीपुरम,
ग्वालियर (म.प्र.).

(G-5411)

नाम परिवर्तन

मुझ प्रार्थी की पुत्री का सही नाम इशिता यादव (ISHITA YADAV) है, यही नाम उसके शैक्षणिक दस्तावेज, जन्म प्रमाण–पत्र आदि में दर्ज है, जबकि मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम खुशी यादव (KHUSHI YADAV) दर्ज हो गया है. इशिता यादव (ISHITA YADAV) और खुशी यादव (KHUSHI YADAV) मेरी एक ही पुत्री के नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री के आधार कार्ड एवं उसके समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में उसका नाम खुशी यादव (KHUSHI YADAV) के स्थान पर इशिता यादव (ISHITA YADAV) दर्ज किया जावे.

आवेदक
(अखिल कुमार यादव)
पुत्र– संतोष कुमार
निवासी– के 5, शुभांजलिपुरम भिण्ड रोड,
महराजपुरा, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-5412)

नाम परिवर्तन

मैं, सूर्यांश पटेल पुत्र श्री मेहरबान सिंह पटेल, निवासी–वार्ड नं. 17, तिवारी कालोनी, सेमरीहरचंद, तह. सोहागपुर, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम रोनक दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरा सही नाम सुर्यांश पटेल है, जो कि मेरे सभी शैक्षणिक दस्तावेजों में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे सभी शासकीय/अशासकीय एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा सही नाम सूर्यांश पटेल (Suryansh Patel) पुत्र महरबान सिंह पटेल (Meharban Singh Patel) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(रोनक)
पुत्र– मेहरबान सिंह पटेल

नया नाम
(सूर्यांश पटेल)
(Suryansh Patel)
पुत्र– महरबान सिंह पटेल
(Meharban Singh Patel).

(G-5413)

नाम परिवर्तन

मैं, अक्षत परमार पिता संजय परमार, निवासी– ग्राम रोला खेड़ी, तहसील कालापीपल, जिला शाजापुर (म.प्र.). मेरा नाम आधार कार्ड में अक्षय परमार लिखा है, जो कि गलत है, मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम अक्षत परमार है. जो सही है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में इसी नाम से जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

प्रार्थी
(अक्षत परमार)
पिता– संजय परमार.

(G-5414)

नाम परिवर्तन

मैं, धनीराम अहिरवार पुत्र श्री लालाराम अहिरवार, निवासी– कंघारी, तहसील पृथ्वीपुर, जिला निवाड़ी (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम अनिकेत अहिरवार (Aniket Ahirwar) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे पुत्र का सही नाम अनुज अहिरवार (Anuj Ahirwar) पुत्र धनीराम अहिरवार (Dhaniram Ahirwar) है, जो कि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को उसके सही नाम अनुज अहिरवार (Anuj Ahirwar) पुत्र धनीराम अहिरवार (Dhaniram Ahirwar) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक
(धनीराम अहिरवार).

(G-5415)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, भागीदारी फर्म "मेसर्स मनोहरलाल शांतिलाल भण्डारी" पंजीयन क्रमांक–1848 सन् 1986–1987, दिनांक 15 जनवरी 1987 पंजीकृत फर्म हैं. यह कि, संशोधित भागीदारी अभिलेख दिनांक 01 अप्रैल 2017 के अनुसार भागीदार (1) श्री पन्नालाल जैन पिता श्री रतनलाल जैन (2) श्री सरदारमल जैन पिता श्री हीरालाल जैन तथा (3) श्री सौभागचन्द जैन पिता श्री चतुरभुज, दिनांक 31 मार्च 2017 को अपनी स्वेच्छा से इस भागीदारी फर्म से बाहर हो गये है. यह कि, संशोधित भागीदारी अभिलेख दिनांक 01 अप्रैल 2019 के अनुसार भागीदार (1) कु. रिद्धी भण्डारी पुत्री श्री राजेन्द्र भण्डारी (2) कु. सिद्धी भण्डारी पुत्री श्री राजेन्द्र भण्डारी (3) श्री चिन्तन लूनावत पिता श्री रमेश लूनावत तथा (4) श्री मनन लूनावत पिता श्री रमेश लूनावत, दिनांक 31 मार्च 2019 को अपनी स्वेच्छा से इस भागीदारी फर्म से बाहर हो गये हैं तथा यह कि, संशोधित भागीदारी अभिलेख दिनांक 20 फरवरी 2025 के अनुसार (1) श्रीमती मधु भण्डारी पत्नी श्री राजेन्द्र भण्डारी जी का देहांत, दिनांक 23 दिसम्बर 2024 को होने के कारण वह इस फर्म से स्वतः ही बाहर हो गई हैं तथा (1) श्री राजेन्द्र भण्डारी पिता श्री शांतिलाल भण्डारी जी को सर्वसम्मति से आपसी सहमति के द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर 2024 को इस भागीदारी फर्म में शामिल किया गया है. शेष भागीदार यथावत् कार्यरत् हैं.

"मेसर्स मनोहरलाल शांतिलाल भण्डारी"
मनोहरलाल भण्डारी
(भागीदार)
पता– 60, लक्ष्मीबाई मार्ग,
झाबुआ (म.प्र.).

(G-5416)

नाम परिवर्तन

मैं, चन्द्रकांत भंसाली पिता कचरूलाल जी भंसाली, पता– सुभाष मार्ग, गली नंबर 02, नागदा, जिला उज्जैन (म.प्र.). मेरे पुत्र काव्य भंसाली जिसका जन्म प्रमाण–पत्र, अंकसूची, अन्य शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में काव्य जैन (KAVYA JAIN) दर्ज है, जो सही है, जबकि उसके आधार कार्ड में काव्य भंसाली (KAVY BHANSALI) दर्ज है, जो त्रुटिपूर्ण है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को काव्य जैन (KAVYA JAIN) के नाम से जाना–पहचाना जावे.

पुराना नाम
(काव्य भंसाली)
(KAVY BHANSALI)

नया नाम
(काव्य जैन)
(KAVYA JAIN)
पुत्र– चन्द्रकान्त भंसाली.

(G-5417)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र में मेरा नाम नाजनी (NAZNI) है, जो कि गलत व अधूरा नाम है, मैं, अपने नाम के प्रकाशन उपरांत नाज़नीन बानो (NAZNEEN BANO) के नाम से जानी एवं पहचानी जाऊंगी.

पुराना नाम
(नाजनी)
(NAZNI)

नया नाम
(नाज़नीन बानो)
(NAZNEEN BANO).

(G-5418)

नाम परिवर्तन

मैं, राधेश्याम यादव, मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम प्रिंस यादव (PRINCE YADAV) गलत अंकित हो गया है, अतः मेरे पुत्र के शैक्षणिक दस्तावेजों में सही नाम अभिनव यादव (ABHINAV YADAV) पुत्र श्री राधेश्याम यादव है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र का सही नाम अभिनव यादव (ABHINAV YADAV) पुत्र श्री राधेश्याम यादव के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(प्रिंस यादव)
(PRINCE YADAV)

नया नाम
(अभिनव यादव)
(ABHINAV YADAV)
पिता– राधेश्याम यादव
निवासी– ए.वी.एम. स्कूल के पास,
ब्लॉक नं.–3/18, बंजारा बस्ती,
नेहरू नगर, हुजूर, भोपाल (म.प्र.).

(G-5419)

नाम परिवर्तन

मैं, राम प्रसाद, मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम सुल्तान (SULTAN) गलत अंकित हो गया है. अतः मेरे पुत्र के शैक्षणिक दस्तावेजों में सही नाम अभिषेक जी (ABHISHEK JI) पुत्र श्री राम प्रसाद है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र का सही नाम अभिषेक जी (ABHISHEK JI) पुत्र श्री राम प्रसाद के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(सुल्तान)
(SULTAN)

नया नाम
(अभिषेक जी)
(ABHISHEK JI)
पिता– राम प्रसाद
निवासी– 114, नवीन बस्ती,
कान्हासैईया, हुजूर, भेल, भोपाल (म.प्र.).

(G-5420)

उपनाम परिवर्तन

मैं, वैशाली परिहार मेरा विवाह दिनेश पवार से होने के पश्चात् मेरा नाम वैशाली पवार हो गया है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे नये नाम वैशाली पवार (VAISHALI PAWAR) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(वैशाली परिहार)
(VAISHALI PARIHAR)

नया नाम
(वैशाली पवार)
(VAISHALI PAWAR)
पति– दिनेश पवार
निवासी– 19, बालाजी पार्क कॉलोनी,
बालाजीपुरम् रोड, बटामा, बडोरा, बैतूल (म.प्र.).

(G-5421)

नाम परिवर्तन

मैं, लक्ष्मी पर्ते (Laxmi Parte) पत्नी स्व. श्री देवी सिंह पर्ते (Devi Singh Parte), निवासी–एच–97ए/35, तुलसी नगर, तह. हुजूर, सी.टी.टी.नगर, भोपाल (म.प्र.). मेरे सर्विस रिकॉर्ड/जी.पी.एफ./कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम लक्ष्मी बाई पर्ते (Laxmi Bai Parte) अथवा लक्ष्मी देवी पर्ते (Laxmi Devi Parte) दर्ज है, किंतु मेरे अन्य समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों के अनुसार मेरा सही नाम लक्ष्मी पर्ते (Laxmi Parte) है, उपरोक्त नाम मेरे स्वयं के अर्थात एक ही महिला के हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे लक्ष्मी पर्ते (Laxmi Parte) पत्नी स्व. श्री देवी सिंह पर्ते (Devi Singh Parte) के नाम से जाना–पहचाना एवं अभिलेखों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(लक्ष्मी बाई पर्ते)
(Laxmi Bai Parte)
(लक्ष्मी देवी पर्ते)
(Laxmi Devi Parte)

नया नाम
(लक्ष्मी पर्ते)
(Laxmi Parte)
पत्नी– स्व. श्री देवी सिंह पर्ते
(Devi Singh Parte).

(G-5422)

नाम परिवर्तन

मैं, शारदा बाई कनोजिया (Sharda Bai Kanojiya) पत्नी स्व. श्री हरीचन्द्र कनोजिया (Harichandra Kanojiya), निवासी– म.नं. एल.आई.जी. 28/1, पुराना सुभाष नगर, भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड/पैन कार्ड/दस्तावेजों में मेरा नाम शारदा बाई कन्नोजिया (Sharda Bai Kannojiya) पत्नी हरीश चंद कनोजिया (Harish Chand Kannojiya) दर्ज है, मेरे और भी दस्तावेजों में मेरा नाम भिन्न–भिन्न प्रकार से दर्ज है, किंतु मेरा सही नाम शारदा बाई कनोजिया (Sharda Bai Kanojiya) पत्नी स्व. श्री हरीचन्द्र कनोजिया (Harichandra Kanojiya) है, मैं, इसी नाम से जानी व पहचानी जाती हूँ, उपरोक्त नाम दोनों नाम मेरे स्वयं के अर्थात् एक ही महिला के हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे इसी नाम से जाना–पहचाना एवं अभिलेखों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(शारदा बाई कन्नोजिया)
(Sharda Bai Kannojiya)
पत्नी– हरीश चंद कनोजिया
(Harish Chand Kanojiya)

नया नाम
(शारदा बाई कनोजिया)
(Sharda Bai Kanojiya)
पत्नी– स्व. श्री हरीचन्द्र कनोजिया
(Harichandra Kanojiya).

(G-5423)

नाम परिवर्तन

मैं, हरिगोविन्द जाटव पिता श्री धनश्यामदास जाटव, निवासी– अन्ता ब्लॉक, क्वार्टर नं. 3, पुरानी फैमली लाईन, 6वीं बटालियन, एस.ए.एफ. रांझी, जिला जबलपुर (म.प्र.) ने शासकीय एवं अन्य सभी कार्यो के लिये अपना नाम परिवर्तित कर श्री हरगोविन्द जाटव कर लिया है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे श्री हरगोविन्द जाटव के नाम से ही जाना–पहचाना जावे.

पुराना नाम
(हरिगोविन्द जाटव)

नया नाम
(हरगोविन्द जाटव).

(G-5424)

नाम परिवर्तन

मैं, कमलेश्वर प्रसाद आत्मज श्री कन्हैया लाल, निवासी– छटवीं बटालियन, एस.ए.एफ रांझी, जबलपुर (म.प्र.). मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम कमलेश्वर प्रसाद पिता श्री कन्हैया लाल दर्ज है, मैं, अपने सर्विस रिकार्ड में अपना नाम कमलेश्वर प्रसाद के स्थान पर कमलेश्वर प्रसाद तिवारी आत्मज श्री कन्हैया लाल तिवारी दर्ज कराना चाहता हूँ . अतः प्रकाशन उपरांत मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम कमलेश्वर प्रसाद तिवारी पिता श्री कन्हैया लाल तिवारी संशोधित कर दर्ज कर दिया जावे और इसी नाम से मुझे जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(कमलेश्वर प्रसाद)
पिता– श्री कन्हैया लाल

नया नाम
(कमलेश्वर प्रसाद तिवारी)
पिता– श्री कन्हैया लाल तिवारी.

(G-5425)

नाम परिवर्तन

मैं, करोडीलाल आत्मज श्री हरीराम, निवासी–280, चौपडा मोहल्ला, वार्ड कं 18, रायसेन, जिला रायसेन (म.प्र.). मेरा नाम करोडीलाल (KARODILAL) है, मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम कडोरी लाल चिडार (Kadori Lal Chidrar) हो गया है. अतः प्रकाशन उपरांत मैं, अपने नये नाम करोडीलाल (KARODILAL) के नाम से जाना जाऊंगा एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा यही नाम रहेगा.

पुराना नाम
(कडोरी लाल चिडार)
(Kadori Lal Chidrar)

नया नाम
(करोडीलाल)
(KARODILAL).

(G-5426)

नाम परिवर्तन

मैं, जितेन्द्र कुमार खेड़ेकर पुत्र स्व. श्री हरेराम खेड़ेकर, निवासी–म.नं. जी–89, सुपर मार्केट एरिया, वार्ड क्र. 08, नर्मदा नगर, पुनासा, पूर्व निमाड़ (East Nimar) (म.प्र.). मेरी पुत्री का नाम निष्ठा खेड़ेकर (NISHTHA KHEDEKAR) है, परंतु मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम पर्णिका खेडेकर (Parnika Khedekar) एवं उसके स्कूल के दस्तावेजों में निष्ठा खेडे (Nistha Khede) अंकित हो गया है, अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री अपने नये नाम निष्ठा खेड़ेकर (NISHTHA KHEDEKAR) से जानी–पहचानी जायेगी एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरी पुत्री का यही नाम रहेगा.

आवेदक
(जितेन्द्र कुमार खेड़ेकर).

(G-5427)

नाम परिवर्तन

मैं, रविशंकर मालवीय आत्मज श्री गंगाराम मालवीय, निवासी– जामुनिया कलां, जामुनिया बज्याफ्त, जिला सीहोर (म.प्र.). मेरी पुत्री का नाम वैष्णवी मालवीय (VAISHNAVI MALVIYA) है. आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरी पुत्री का नाम वानी मालवीय (Vani Malviya) अंकित हो गया है, अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री वैष्णवी मालवीय (VAISHNAVI MALVIYA) के नाम से जानी–पहचानी जायेगी एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरी पुत्री का यही नाम रहेगा.

आवेदक

(G-5428) (रविशंकर मालवीय).

नाम परिवर्तन

मैं, जगदीश आत्मज श्री रामप्रसाद, निवासी– खिरिया दांगी, आरोन, जिला गुना (म.प्र.). मेरे पुत्र का नाम अमित दांगी (AMIT DANGI) है. आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरे पुत्र का नाम अभिषेक सिंह दांगी (Abhishek Singh Dangi) अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरा पुत्र अपने नये नाम अमित दांगी (AMIT DANGI) के नाम से जाना–पहचाना जायेगा एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरे पुत्र का यही नाम रहेगा.

आवेदक

(G-5429) (जगदीश).

Change of Surname

I, Vaibhav Verma S/o. Rajkumar Verma here by Declare That I, have changed My Name as Vaibhav Dubey S/o. Rajkumar Verma so, from now and in future I, will be known by my new name Vaibhav Dubey S/o. Rajkumar Verma.

Old Name
(Vaibhav Verma)

New Name
(Vaibhav Dubey)
S/o. Rajkumar Verma
Add.- 19-A, Sampat Farm
Indore (M.P.).

(G-5430)

Change of Surname

I, Vishal Verma S/o. Niraj Verma here by Declare That I, have changed My Name as Vishal Dubey S/o. Niraj Verma so, from now and in future I, will be known by my new name Vishal Dubey S/o. Niraj Verma.

Old Name
(Vishal Verma)

New Name
(Vishal Dubey)
S/o. Niraj Verma
Add.- House No. 138, Swami Vivekanand,
Ward No. 20, Choti Sindhi Colony,
Harda (M.P.).

(G-5431)

Public Notice

As per Section 72 of the Indian Partnership Act, with effect from 19.07.2025 (1) Mrs. Archana Somani was admitted into the partnership of the mentioned firm M/S. PERFECT SUNSHINE REALITY, 409, 4th Floor Singapore Business Park LIG Square, Indore (M.P.). 452018 And (1) Mr. Ashwin Mehta and (2) Mr. Radheshyam Gupta were retired from the partnership of the mentioned firm M/S. PERFECT SUNSHINE REALITY, 409, 4th Floor Singapore Business Park LIG Square, Indore (M.P.). 452018 And with effect from 19.07.2025 Now (1) Mr. Manish Somani, and (2) Mrs. Archana Somani, are working partners of the firm. Firm also has changed its address from 307, The Mark Building, Saket Square, Indore (MP). 452018 to 409, 4th Floor Singapore Business Park LIG Square, Indore (M.P.). w.e.f 19/07/2025.

Registration No. - 03/27/01/0059/23

Date of Registration 04/05/2023

PERCECT SUNSHINE REALITY

Manish Somani

(Partner).

(G-5432)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम कोमल तलरेजा पिता राजकुमार तलरेजा / पति विनोद रिझवानी (KOMAL D/o. RAJKUMAR TALREJA W/o. VINOD RIJHWANI) था. जिसे मैं, परिवर्तित कर सलोनी रिझवानी पति श्री विनोद रिझवानी (SALONI RIJHWANI W/o. VINOD RIJHWANI) करना चाहती हूँ. अतः प्रकाशन उपरांत मैं, सलोनी रिझवानी पति श्री विनोद रिझवानी के नाम से ही जानी–पहचानी जाऊंगी.

पुराना नाम	नया नाम
(कोमल तलरेजा)	(सलोनी रिझवानी)
पिता राजकुमार तलरेजा	पति– श्री विनोद रिझवानी.

(G-5433)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम गोदावरी मोतियानी पिता अशोक मोतियानी (GODAVARI MOTIYANI D/o. ASHOK MOTIYANI) था, जिसे मैं, परिवर्तित कर जाहन्वी लालवानी पति धनराज लालवानी (JAHNVI LALWANI W/o. DHANRAJ LALWANI) करना चाहती हूँ. अतः प्रकाशन उपरांत मैं, जाहन्वी लालवानी पति धनराज लालवानी के नाम से ही जानी–पहचानी जाऊंगी.

पुराना नाम	नया नाम
(गोदावरी मोतियानी)	(जाहन्वी लालवानी)
पिता– अशोक मोतियानी	पति– धनराज लालवानी.

(G-5434)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम आधार कार्ड में त्रुटिवश प्रशांत गुर्जर (PRASHANT GURJAR) लिखा गया है, जिसे सुधारकर मैंने मेरे पुत्र का नाम आदित्य गुर्जर (ADITYA GURJAR) पिता शिवराज सिंह गुर्जर रख लिया है, जो कि सत्य व सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को आदित्य गुर्जर (ADITYA GURJAR) के नाम से जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक
(शिवराज सिंह गुर्जर)
निवासी– ग्राम गिरगॉव, गिरगांव,
जिला ग्वालियर (म.प्र.).

(G-5435)

नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व में नाम शांति देवी (SHANTI DEVI) है. जिसे सुधारकर मैंने मेरा नाम सांथी बाई (SANTHI BAI) पत्नी राम जीवन शर्मा रख लिया है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मुझे मेरे नये नाम सांथी बाई (SANTHI BAI) के नाम से जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(शांति देवी)
(SHANTI DEVI)

नया नाम
(सांथी बाई)
(SANTHI BAI)
पति– राम जीवन शर्मा
निवासी– ग्राम व पोस्ट कोसड, कोशाथ, कोसड,
जिला भिण्ड (म.प्र.).

(G-5436)

नाम परिवर्तन

मैं, नंदकिशोर पिता शांतिलाल शर्मा, पता– ग्राम रजला, तहसील नागदा, जिला उज्जैन (म.प्र.). मेरे पुत्र पवन शर्मा जिसका जन्म प्रमाण–पत्र, अंकसूची, अन्य शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में पवन शर्मा नाम दर्ज है, जो सही है, जबकि उसके आधार कार्ड में उसका नाम भय्यु दर्ज है, जो त्रुटिपूर्ण है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को पवन शर्मा के नाम से जाना–पहचाना जावे.

आवेदक
(नंदकिशोर)
पिता– शांतिलाल शर्मा.

(G-5437)

नाम परिवर्तन

मैं, सोभाग पाटीदार पिता गतरू पाटीदार, निवासी– ग्राम रूपाखेड़ा, तह. व जिला रतलाम (म.प्र.). मेरा नाम कुछ शासकीय, अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में शोभाराम पिता गवरू अंकित है. मुझे उक्त दोनों नामों से जाना–पहचाना जाता है एवं दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मुझे सोभाग पाटीदार पिता गवरू के नाम से जाना–पहचाना जावे.

प्रार्थी
(सोभाग पाटीदार)
पिता– गवरू पाटीदार.

(G-5438)

नाम परिवर्तन

मैं, रामलखन दास बैरागी पिता प्रहलाद दास बैरागी, पता– पटेल मोहल्ला, उन्हेल, तहसील उन्हेल, जिला उज्जैन (म.प्र.). मेरे पुत्र आयुष बैरागी जिसका जन्म प्रमाण–पत्र, अंकसूची अन्य शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में आयुष बैरागी दर्ज है, जो सही है, जबकि उसके आधार कार्ड में मंगल पिता लखन दास बैरागी दर्ज है, जो त्रुटिपूर्ण है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को आयुष बैरागी पिता रामलखन दास बैरागी के नाम से जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक
(रामलखन दास बैरागी).

(G-5439)

नाम परिवर्तन

मैं, अंजू टांक पति राम जी लाल टांक (पिता छगनलाल), निवासी–ई–262, डोंगरे नगर रतलाम (म.प्र.). विवाह के पूर्व मेरा का नाम कुछ शासकीय, अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में अंगूरबाला पिता छगनलाल अंकित है. मुझे उक्त दोनों नामों से जाना–पहचाना जाता है एवं दोनों नाम एक ही महिला के हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे अंजू टांक पति राम जी लाल टांक (पिता छगनलाल) के नाम से जाना–पहचाना जावे.

प्रार्थिनी
(अंजू टांक)
पति– राम जी लाल टांक.

(G-5440)

नाम परिवर्तन

मैं, नीलू ठाकुर, मेरे सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम नीलू ठाकुर (Neelu Thakur) आत्मज लक्ष्मण ठाकुर अंकित है, जो कि सही है पर कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम नीरज सिंह अंकित हो गया है. नीरज सिंह एवं नीलू ठाकुर दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं अन्य दस्तावेजों में मुझे नीलू ठाकुर (Neelu Thakur) आत्मज लक्ष्मण ठाकुर के नाम से जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(नीरज सिंह)

नया नाम
(नीलू ठाकुर)
(Neelu Thakur)
आत्मज– लक्ष्मण ठाकुर
पता– एम.ई.एस. बेरियल, म.नं. 425,
आम कछार पथरौटा, तहसील इटारसी,
जिला होशंगाबाद (म.प्र.).

(G-5441)

नाम परिवर्तन

मैं, पूनम चन्द्र पिता दल्ला जी, निवासी– मकान नं. 211, ग्राम सागोद, पोस्ट हरथली, तह. व जिला रतलाम (म.प्र.). मेरा नाम कुछ शासकीय, अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में पूना पिता दल्ला जाति भील अंकित है. मुझे उक्त दोनों नामों से जाना–पहचाना जाता है एवं दोनों नाम एक ही व्यक्ति हैं. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य मे मुझे पूनम चन्द्र पिता दल्ला जी के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थी
(पूनम चन्द्र)
पिता– दल्ला जी.

(G-5442)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता हे कि फर्म सद्गुरु हॉस्पिटेक जिसका पंजीयन क्रमांक 01/01/01/0445/24, दिनांक 29 फरवरी 2024 जो भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अंतर्गत रजिस्टर्ड फर्म है. उक्त फर्म में दिनांक 3 सितम्बर 2025 से भागीदारी फर्म का मुख्य कार्यालय– 199, Malikhedi, Bhanpur, Vidisha Road, Vikas Khand Funda, Tehsil - Huzur, District Bhopal (M.P.) से परिवर्तन कर नवीन मुख्य कार्यालय A-4, BALAJI PARISAR NEAR TRUPATI HOMES, AYODHYA BYPASS ROAD, BHOPAL (M.P.) किया गया है.

फर्म -- सद्गुरु हॉस्पिटेक
Deepak Kumar Panthi
(भागीदार)
Add.- A-4, BALAJI PARISAR,
NEAR TRUPATI HOMES,
AYODHYA BYPASS ROAD, BHOPAL (M.P.).

(G-5443)

नाम परिवर्तन

मैं, अनुराग सूर्यवंशी पिता सीताराम सूर्यवंशी, निवासी– मकान नं. 86, नयागावं, राजगढ़, रतलाम (म.प्र.). मेरी कक्षा 10वीं की अंकसूची में माता का नाम शांति (SHANTI) व पिता का नाम सीताराम (SITARAM) दर्ज है, सरनेम दर्ज होने से रह गया है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे अनुराग सूर्यवंशी (ANURAG SURYAVANSHI) की अंकसूची में माता का नाम शांति सूर्यवंशी (SHANTI SURYAVANSHI) व पिता का नाम सीताराम सूर्यवंशी (SITARAM SURYAVANSHI) सरनेम सहित दर्ज किया जावे.

प्रार्थी
(अनुराग सूर्यवंशी)
पिता– सीताराम सूर्यवंशी.

(G-5444)

नाम परिवर्तन

मैं, गोपाल हार्डिया, मेरे पुत्र के कुछ दस्तावेजों में उसका नाम त्रिलोक हार्डिया (Trilok Hardiya) अंकित है, तथा कुछ में घर का बोलता नाम सोनू हार्डिया (Sonu Hardiya) एवं आधार कार्ड में भी सोनू हार्डिया (Sonu Hardiya) अंकित हो गया है. सोनू हार्डिया और त्रिलोक हार्डिया दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं. अतः प्रकाशन के उपरांत मेरे पुत्र के समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य सभी दस्तावेजों में त्रिलोक हार्डिया पुत्र गोपाल हार्डिया के नाम से जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक
(गोपाल हार्डिया)
पता– 14/1, मुरल मोहल्ला, जूनी इन्दौर (म.प्र.).

(G-5445)

नाम परिवर्तन

मैं, मीना कुंवर पति अनार सिंह राजपूत, निवासी– ग्राम गुडरखेड़ा, तह. पिपलौदा व जिला रतलाम (म.प्र.). मेरा नाम कुछ शासकीय, अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में वीमा कुंवर पिता उदेसिंह जाति राजपूत अंकित है. मुझे उक्त दोनों नामों से जाना–पहचाना जाता है एवं दोनों नाम एक ही महिला के हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मीना कुंवर पति अनार सिंह राजपूत के नाम से जानी–पहचानी जाऊंगी.

प्रार्थिनी
(मीना कुंवर)
पति– अनार सिंह राजपूत.

(G-5446)

नाम परिवर्तन

मैं, सहेश परतेती आत्मज शिवलाल परतेती, मेरे पुत्र के सभी दस्तावेजों में उसका नाम राहुल परतेती (Rahul Parteti) अंकित है, परन्तु आधार कार्ड में त्रुटि से उसका नाम प्रासु (Prasu) आत्मज सहेश अंकित हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र के समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य सभी दस्तावेजों में राहुल परतेती (Rahul Parteti) आत्मज सहेश परतेती के नाम से जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक
(सहेश परतेती)
पता– ग्राम पटनिया, अमरवाड़ा,
छिंदवाड़ा (म.प्र.).

(G-5447)

नाम परिवर्तन

मैं, युनुस बेग आत्मज रसूल बेग, मेरी पुत्री के सभी दस्तावेजों में उसका नाम तबस्सुम बेग (Tabssum beg) अंकित है, परन्तु आधार कार्ड में त्रुटिवश से उसका नाम शिवईया (Shivaiya) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री के समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य सभी दस्तावेजों में तबस्सुम बेग (Tabssum beg) आत्मज युनुस बेग के नाम से जानी–पहचानी जावेगी.

आवेदक
(युनुस बेग)
पता– ग्राम लालौटी, नरसिंहगढ़,
रायगढ़ (म.प्र.).

(G-5448)

नाम परिवर्तन

मैं हेम सिंह (HEM SINGH) पुत्र श्री मानपाल. मेरे पुत्र का नाम गजेन्द्र कौशल (GAJENDRA KAUSHAL) है, जबकि मेरे पुत्र के आधार कार्ड में नाम विनय (VINAY) त्रुटिवश लिख गया है, जो कि गलत है, जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मेरे पुत्र को गजेन्द्र कौशल पुत्र श्री हेम सिंह के नाम से जाना–पहचाना जाता है. जो मेरे पुत्र के शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. अतः प्रकाशन उपरांत आधार कार्ड में मेरे पुत्र का नाम विनय के स्थान पर गजेन्द्र कौशल लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक
(हेम सिंह)
पता– टून्डीला, चक माधोपुर,
भिंड (म.प्र.).

(G-5449)

नाम परिवर्तन

मैं, चाहत कुकरेजा (CHAHAT KUKREJA) पत्नी श्री जितेन्द्र कुकरेजा. मेरा पूर्व का नाम लता कुमारी वार्धानी (LATA KUMARI WARDHANI) था. जो मेरी बीमा पॉलिसीयों में लिखा गया है, जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, चाहत कुकरेजा पत्नी श्री जितेन्द्र कुकरेजा के नाम से जानी–पहचानी जाती हूँ, जो मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. चाहत कुकरेजा एवं लता कुमारी वार्धानी दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे समस्त दस्तोवजों एवं बीमा पॉलिसीयों में मेरा नाम लता कुमारी वार्धानी के स्थान पर चाहत कुकरेजा लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(लता कुमारी वार्धानी)

नया नाम
(चाहत कुकरेजा)
पत्नी– श्री जितेन्द्र कुकरेजा
पता– 101, आंगरे का बाड़ा,
लाला का बाजार,
ग्वालियर (म.प्र.).

(G-5450)

नाम परिवर्तन

मैं, रविन्द्र सिंह (RAVINDRA SINGH) पुत्र श्री लाखन सिंह, मेरा पूर्व का नाम रवि (RAVI) था. जो मेरे आधार कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है, जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, रविन्द्र सिंह पुत्र श्री लाखन सिंह के नाम से जाना–पहचाना जाता हूं, जो मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. रविन्द्र सिंह एवं रवि दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे आधार कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम रवि के स्थान पर रविन्द्र सिंह लिखा–पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(रवि)

नया नाम
(रविन्द्र सिंह)
पुत्र– श्री लाखन सिंह
पता– 30, सुखराम कॉलोनी,
ग्वालियर (म.प्र.).

(G-5451)

नाम परिवर्तन

मैं, कौशल सिंह (KAUSHAL SINGH) पुत्र श्री विजय करन सिंह, मेरा पूर्व का नाम आशुतोष शर्मा (ASHUTOSH SHARMA) था. जो मेरे आधार कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है, जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, कौशल सिंह पुत्र श्री विजय करन सिंह के नाम से जाना–पहचाना जाता हूं, जो मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है, कौशल सिंह एवं आशुतोष शर्मा दोनों मेरे ही नाम है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे आधार कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम आशुतोष शर्मा के स्थान पर कौशल सिंह लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(आशुतोष शर्मा)

नया नाम
(कौशल सिंह)
पुत्र– विजय करन सिंह
पता– औतार सिंह का पुरा,
ग्राम सुकंद, गोरगी, भिण्ड (म.प्र.).

(G-5452)

नाम परिवर्तन

मैं, नताशा बनवारी (NATASHA BANWARI) पत्नी श्री लक्ष्मण बनवारी, मेरा विवाह पूर्व का नाम उषा दयानी (USHA DAYANI) था, जो मेरी पॉलिसी में लिखा गया है. मेरा विवाह लक्ष्मण बनवारी के साथ हो जाने के कारण मेरा नाम नताशा बनवारी हो गया है और वर्तमान एवं भविष्य में मैं, नताशा बनवारी पत्नी श्री लक्ष्मण बनवारी के नाम से जानी–पहचानी जाती हूं, जो मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है, नताशा बनवारी एवं उषा दयानी दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पॉलिसी में मेरा नाम उषा दयानी के स्थान पर नताशा बनवारी लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(उषा दयानी)

नया नाम
(नताशा बनवारी)
पत्नी– श्री लक्ष्मण बनवारी
पता– ए–49, समाधिया कॉलोनी,
तारागंज, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-5453)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का पूर्व में नाम नेहांश शर्मा (NEHANSH SHARMA) था. जिसे नाम परिवर्तन कर वर्तमान में मेरे पुत्र नक्षत्र शर्मा (NAKSHATRA SHARMA) के नाम से जाना–पहचाना व पुकारा जावेंगा एवं शासकीय, अशासकीय कार्यालय में अंकित करवाया जायेगा.

आवेदक
(अभिषेक शर्मा)
(Abhishek Sharma)
निवासी– 419, 10, पार्वती विला,
तिलक नगर, जिला इन्दौर (म.प्र.).

(G-5454)

नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व का नाम विकराम देवडे पिता चमार, (Vikaram Devde S/o. Chamar) था. जिसे परिवर्तन कर वर्तमान में मुझे विक्रम देवडे पिता चमार सिंह देवडे, (Vikram Devde S/o. Chamar Singh Devde) के नाम से जाना–पहचाना व पुकारा जावे एवं शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

प्रार्थी
(विक्रम देवडे)
(Vikram Devde)
निवासी– चोपाली, पोस्ट हेलापडावा,
तह. झिरन्या, जिला खरगोन (म.प्र.).

(G-5455)

नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व का नाम मोहम्मद आरिफ होटलवाला (Mohammad Arif Hotalwala) था. जिसे परिवर्तन कर वर्तमान में मुझे मोहम्मद आरिफ मुलतानी, (Mohammad Arif Multani) के नाम से जाना–पहचाना व पुकारा जावे एवं शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

प्रार्थी
(मोहम्मद आरिफ मुलतानी)
(Mohammad Arif Multani)
निवासी– प्लाट नं. 56, स्कीम नं.–102,
माणिक बाग रोड, जिला इन्दौर (म.प्र.).

(G-5456)

नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व का नाम साक्षी रजत जायसवाल, (Sakshi Rajat Jaiswal) था. जिसे परिवर्तन कर वर्तमान में मुझे साक्षी डोंगले (Sakshi Dongle) के नाम से जाना–पहचाना व पुकारा जावे एवं शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी
(साक्षी डोंगले)
(Sakshi Dongle)
निवासी– 194/1, फ्लैट नं. 501,
शांतिकुंज, जिला इन्दौर (म.प्र.).

(G-5457)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का पूर्व में नाम दीनू पंवार (DEENU PANWAR) था. जिसे परिवर्तन कर वर्तमान में मेरे पुत्र को विनय ठाकुर, (VINAY THAKUR) के नाम से जाना–पहचाना व पुकारा जावे एवं शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

आवेदक
(बलवंत सिंह ठाकुर)
(Balwant Singh Thakur)
निवासी– 18/2, कृष्ण बाघ कॉलोनी,
सेक्टर बी, जिला इन्दौर (म.प्र.).

(G-5458)

नाम परिवर्तन

मैं, अयंश राठौर (AYANSH RATHORE) पिता मंगल सिंह (MANGAL SINGH), निवासी–7/1, 50 क्वार्टर, बी–सेक्टर, पिपलानी, भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम अयंश (AYANSH) पिता मंगल सिंह (MANGAL SINGH) दर्ज है एवं स्कूल रिकार्ड में मेरा नाम अयंश राठौर (AYANSH RATHORE) राठौर (AYANSH RATHORE) पिता मंगल सिंह (MANGAL SINGH) दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत जहां कहीं भी मेरा नाम अयंश (AYANSH) पिता मंगल सिंह (MANGAL SINGH) दर्ज है. उसके स्थान पर अयंश राठौर (AYANSH RATHORE) पिता मंगल सिंह (MANGAL SINGH) लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(अयंश)
(AYANSH)

नया नाम
(अयंश राठौर)
(AYANSH RATHORE)
पिता– मंगल सिंह.
(MANGAL SINGH).

(G-5459)

नाम परिवर्तन

मैं, चन्द्र शेखर सिंह पुत्र श्री मुन्नी सिंह, निवासी– म.नं. 23, सुरभि वैष्णोधाम, अवधपुरी भेल, भोपाल (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में उसका नाम अंश सिंह पुत्र श्री चन्द्र शेखर सिंह दर्ज है, जो कि गलत है, जबकि उसके जन्म प्रमाण–पत्र में उसका नाम MEDHAANSH SINGH S/o. CHANDRA SHEKHAR SINGH दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत जहां कहीं भी मेरे पुत्र का नाम अंश सिंह दर्ज है उसके स्थान पर MEDHAANSH SINGH S/o. CHANDRA SHEKHAR SINGH लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक
(चन्द्र शेखर सिंह).

(G-5460)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स इमरान खुर्शीद हसन एंड संस की फर्म संयुक्त पंजीयक कार्यालय फर्म एवं संस्थान, इन्दौर में पंजीयक क्रमांक 03/27/03/00059/11, दिनांक 30 जून 2011 से पंजीकृत है. फर्म में दिनांक 15 जुलाई 2016 को संशोधित पार्टनरशिप डीड संपादित की गयी थी, जिसमें (1) श्री खुर्शीद हसन पिता अब्दुल मजीद (2) इरफान खान पिता खुर्शीद हसन (3) जैनब खान पति इमरान खान (4) मिजान अली खान पिता इमरान खान माइनर गार्जीयन जैनब खान भागीदार के रूप थे. जिसमें से फर्म भागीदार श्री खुर्शीद हसन पिता अब्दुल मजीद, निवासी–91/1, ओल्ड राज मोहल्ला, इन्दौर (म.प्र.) का दिनांक 8/0/2025 को निधन हो जाने से उनकी भागीदार स्वत्व समाप्त हो गयी है. फर्म में दिनांक 3 सितम्बर 2025 को नासिर पिता बशीर खान, निवासी–13/1 बलाई मोहल्ला, जबरन कालोनी, इन्दौर (म.प्र.) को चतुर्थ भागीदार के रूप में सम्मिलित किया गया है. पार्टनर शिप एक्ट, 1932 के अन्तर्गत पालनार्थ एवं सूचनार्थ है.

मेसर्स इमरान खुर्शीद हसन एंड संस
इरफान मंसूरी
(भागीदार)
आई.के.एच. एंड संस
खंडवा, रेल्वे स्टेशन, खण्डवा (म.प्र.).

(G-5461)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का नाम लक्ष्मी रूहेला (LAXMI RUHELA) है, जिसे बदलकर मैंने अपनी पुत्री का नया नाम प्रतिज्ञा रूहेला (PRATIGYA RUHELA) रख लिया है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरी पुत्री को नये नाम प्रतिज्ञा रूहेला (PRATIGYA RUHELA) के नाम से जाना व पहचाना जावे.

आवेदक
(दुधार सिंह रूहेला)
पता– वार्ड नं. 2, ग्राम सरेडी,
पोस्ट हलुहेदी, राजगढ़ (म.प्र.).

(G-5462)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का सही नाम जोहिब खान (JOHIB KHAN) है, जो कि उसके शैक्षणिक दस्तावेज, जन्म प्रमाण–पत्र आदि में दर्ज हैं, जबकि मेरे पुत्र के आधार कार्ड में उसका नाम त्रुटिवश जोईव खान (JOEV KHAN) दर्ज हो गया है. जोहिब खान (JOHIB KHAN) और जोईव खान (JOEV KHAN) दोनों नाम मेरे पुत्र के हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र के आधार कार्ड व समस्त शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में उसका नाम जोईव खान (JOEV KHAN) के स्थान पर जोहिब खान (JOHIB KHAN) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

प्रार्थी
(लतीफ मोहम्मद)
पुत्र– रफीक मोहम्मद
निवासी– ए 37, वार्ड क्र.–51,
आपागंज, कैथवाला मोहल्ला,
लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-5463)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम कौशलेन्द्र सिंह चौहान (KAUSHLENDRA SINGH CHAUHAN) है, यही नाम मेरे शैक्षणिक दस्तावेज, जन्म प्रमाण–पत्र आदि में दर्ज है, जबकि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम कुलदीप सिंह चौहान (KULDEEP SINGH CHAUHAN) दर्ज हो गया है. कौशलेन्द्र सिंह चौहान (KAUSHLENDRA SINGH CHAUHAN) और कुलदीप सिंह चौहान (KULDEEP SINGH CHAUHAN) मुझ एक ही व्यक्ति के नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे आधार कार्ड एवं समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम कुलदीप सिंह चौहान (KULDEEP SINGH CHAUHAN) के स्थान पर कौशलेन्द्र सिंह चौहान (KAUSHLENDRA SINGH CHAUHAN) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(कुलदीप सिंह चौहान)
(KULDEEP SINGH CHAUHAN)

नया नाम
(कौशलेन्द्र सिंह चौहान)
(KAUSHLENDRA SINGH CHAUHAN)
पुत्र– श्री ब्रजेन्द्र सिंह चौहान
निवासी– फर्श वाली गली, गुढा,
कम्पू, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-5464)

नाम परिवर्तन

मैं, तुलसा कवाडे TULSA KAWADE पत्नी स्व. श्री जे.एस. कवाड़े, निवासी– डी 80, बंजारी कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.). मेरे पूर्व के दस्तावेजों में नाम तुलसा बाई TULSA BAI एवं तुलसी बाई TULSI BAI था. अब मेरा नाम बदलकर वर्तमान में तुलसा कवाडे TULSA KAWADE हो गया है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मुझे तुलसा कवाडे TULSA KAWADE पत्नी स्व. श्री जे.एस. कवाड़े नाम से जाना–पहचाना, दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी
(तुलसा कवाडे)
(TULSA KAWADE).

(G-5465)

नाम परिवर्तन

मैं, भूमिका शर्मा पुत्री राकेश शर्मा, निवासी–ग्राम पाडल्या, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम भूमि (Bhumi) पुत्री राकेश (Rakesh) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरा सही नाम भूमिका शर्मा (Bhumika Sharma) पुत्री राकेश शर्मा (Rakesh Sharma) है, जो कि मेरे जन्म प्रमाण–पत्र एवं 10वीं की अंकसूची में भी दर्ज है, जो कि सही एवं सत्य है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम भूमिका शर्मा (Bhumika Sharma) पुत्री राकेश शर्मा (Rakesh Sharma) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(भूमि)
(Bhumi)
पुत्री– राकेश (Rakesh)

नया नाम
(भूमिका शर्मा)
(Bhumika Sharma)
पुत्री– राकेश शर्मा
(Rakesh Sharma).

(G-5466)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम अंशुल लोधी पिता श्यामसुन्दर (ANSHUL LODHI S/o. SHYAMSUNDAR) है, परन्तु मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश राज लोधी (RAJ LODHI) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, मेरे पुत्र का नाम अंशुल लोधी पिता श्यामसुन्दर (ANSHUL LODHI S/o. SHYAMSUNDAR) उसके जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है, मेरे पुत्र का सही नाम उसके आधार कार्ड, शासकीय, अशासकीय शैक्षणिक, अशैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज करवाना चाहता हूँ. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को अंशुल लोधी पिता श्यामसुन्दर (ANSHUL LODHI S/o. SHYAMSUNDAR) के नाम से जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक
(श्याम सुन्दर लोधी)
आत्मज– श्री हरिलाल लोधी
निवासी– ग्राम अधराड; जिला पन्ना,
थाना तहसील रैपुरा (म.प्र.).

(G-5467)

नाम परिवर्तन

मैं, कीर्ति दुबे पत्नी श्री रामनारायण दुबे, निवासी– ग्राम लामटा, तहसीट बनखेड़ी, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम कीर्ति दुबे (KEERTI DUBE) पत्नी श्री रामनारायण दुबे (RAMNARAYAN DUBE) अंकित है, जो कि गलत है, जबकि मेरे पहचान–पत्र में सही नाम कीर्ति दुबे (KIRTI DUBEY) पत्नी श्री रामनारायण दुबे (RAMNARAYAN DUBEY) दर्ज है, जो कि सही है. दोनों नाम एक ही महिला के हैं. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरा नाम कीर्ति दुबे (KIRTI DUBEY) पत्नी श्री रामनारायण दुबे (RAMNARAYAN DUBEY) सभी सरकारी एवं गैर सरकारी दस्तावेजों में इन्ही नामों से जाना एवं पहचाना जावे.

प्रार्थिनी
(कीर्ति दुबे)
पत्नी– श्री रामनारायण दुबे.

(G-5468)

उपनाम परिवर्तन

मैं, हेमा गर्ग, मेरे पूर्व पति श्री पवन गर्ग का निधन हो जाने के पश्चात् मेरा द्वितीय विवाह श्री आकाश अग्रवाल, निवासी– A–10, एच.आई.जी., रामेश्वरम बागमुगालिया, भोपाल (म.प्र.) से हो गया है. अतः भविष्य में मेरा नया नाम हेमा अग्रवाल पत्नी श्री आकाश अग्रवाल तथा मेरी पुत्री मिष्ठी गर्ग का नया नाम मिष्ठी अग्रवाल पुत्री श्री आकाश अग्रवाल एवं पुत्र संकेत गर्ग का नया नाम संकेत अग्रवाल पुत्र श्री आकाश अग्रवाल जाना–पहचाना जावे. अतः प्रकाशन उपरान्त नामों का परिवर्तन आधार कार्ड, समग्र आई.डी. एवं अन्य सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(हेमा गर्ग)

नया नाम
(हेमा अग्रवाल).

(G-5469)

नाम परिवर्तन

मैं, रवि कुमार पुत्र श्री मंशाराम, निवासी– पोस्ट सिहोद, बोरी रामपुर, विदिशा (म.प्र.). जिसे बदलकर रवि मीणा करना चाहता हूं, अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मुझे सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में रवि मीणा के नाम से जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(रवि कुमार)

नया नाम
(रवि मीणा).

(G-5470)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का नाम सुहाना लोधी पिता राज कुमार लोधी (SUHANA LODHI S/o. RAJ KUMAR LODHI) है, परन्तु मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश राशी (RASHI) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, मेरी पुत्री का नाम सुहाना लोधी पिता राज कुमार लोधी (SUHANA LODHI D/o. RAJ KUMAR LODHI) उसके जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है. मेरी पुत्री का सही नाम उसके आधार कार्ड, शासकीय, अशासकीय, शैक्षणिक, अशैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज किया जाये. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को सुहाना लोधी पिता राज कुमार लोधी (SUHANA LODHI D/o. RAJ KUMAR LODHI) के नाम से जाना व पहचाना जावे.

आवेदक
(राज कुमार लोधी)
आत्मज– श्री कल्याण सिंह लोधी
निवासी– माधौपुर, तहसील ईसागढ,
जिला अशोकनगर (म.प्र.).

(G-5471)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम दिव्यांश यादव पिता अरविंद सिंह यादव (DIVYANSH YADAV S/o. ARVIND SINGH YADAV), निवासी– सुनपुरा महल, तहसील चंदेरी, जिला अशोक नगर (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम सूर्यप्रताप सिंह यादव पिता अरविन्द सिंह यादव (SURYAPRATAP SINGH YADAV S/o. ARVIND SINGH YADAV) अंकित हो गया हैं, जो कि अधुरा व गलत है. दिव्यांश यादव पिता अरविंद सिंह यादव व सूर्यप्रताप सिंह यादव पिता अरविन्द सिंह यादव दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं. मेरे पुत्र का सही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र व शैक्षणिक दस्तावेजों में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र का नाम दिव्यांश यादव पिता अरविन्द सिंह यादव (DIVYANSH YADAV S/o. ARVIND SINGH YADAV) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक
(अरविन्द सिंह यादव)
पुत्र– श्री जगराम सिंह यादव.

(G-5472)

नाम परिवर्तन

मैं, सोहन सिसोदिया पुत्र श्री इंदर सिंह, निवासी– ग्राम जेठडा, तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर (म.प्र.). मेरे आधार कॉर्ड में त्रुटिवश नाम सोनू (Sonu) दर्ज हो गया था, जो कि गलत है, जबकि मेरे जन्म प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक दस्तावेजों आदि में मेरा नाम सोहन सिसोदिया (Sohan Sisodiya) नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे आधार कार्ड में तथा मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम सोहन सिसोदिया (Sohan Sisodiya) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(सोनू)
(Sonu)

नया नाम
(सोहन सिसोदिया)
(Sohan Sisodiya).

(G-5473)

नाम परिवर्तन

मैं, भगवानसिंह पिता श्री राम कैलाश, निवासी– ग्राम अचलपुरा, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम (Annd) पुत्र भगवान सिंह (Bhagban Singh) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे पुत्र का सही नाम आनंद यादव (Anand Yadav) पुत्र भगवान सिंह (Bhagwan Singh) है, जो कि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को उसके सही नाम आनंद यादव (Anand Yadav) पुत्र भगवान सिंह (Bhagwan Singh) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक
(भगवान सिंह).

(G-5474)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम शोभा मोठे (SHOBHA MOTHE) पति कमलाकर मोठे है, जो कि मेरे समस्त शासकीय, अशासकीय दस्तावेज में दर्ज व अंकित है एवं त्रुटिवश मेरा नाम आधार कार्ड में शोभा मोठे के स्थान पर मेरे घर का नाम पिंकी दर्ज हो गया है, जो सही होकर शोभा मोठे है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम शोभा मोठे (SHOBHA MOTHE) पति कमलाकर मोठे के नाम से जाना व पहचाना जाये.

पुराना नाम
(पिंकी)

नया नाम
(शोभा मोठे).

(G-5475)

नाम परिवर्तन

मैं, आशु सिंह पुत्र शेर सिंह, निवासी– ग्राम पोस्ट रामपुर, चौरासी रघुराज नगर, रामपुर, गाँधी ग्राम, जिला सतना (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम सुमित सिंह (Sumit Singh) पुत्र शेर सिंह (Sher Singh) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरा सही नाम आशु सिंह (Aashu Singh) पुत्र शेर सिंह (Sher Singh) है, जो कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम आशु सिंह (Aashu Singh) पुत्र शेर सिंह (Sher Singh) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(सुमित सिंह)
(Sumit Singh)

नया नाम
(आशु सिंह)
(Aashu Singh)
पुत्र– शेर सिंह
(Sher Singh).

(G-5476)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम चिकू था. आज से मैंने मेरा नया नाम आँचल रख लिया है तथा मुझे आँचल के नाम से जाना व पहचाना जाता है तथा मेरे समस्त दस्तावेज आँचल के नाम से उपलब्ध हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे इसी नाम से जाना–पहचाना जावे.

प्रार्थिनी
(आँचल)
पिता– मोहनलाल दांगी
निवासी– ग्राम हाथिबोलिया, तह. मल्हारगढ़,
जिला मंदसौर (म.प्र.).

(G-5477)

नाम परिवर्तन

मैं, नौशाद मंसूरी, पिता श्री मुस्ताक मंसूरी, निवासी– वार्ड नंबर 12, आरा मशीन के पास, ठीकरी रोड़, अंजड़, जिला बड़वानी (म.प्र.). मेरे पुत्र का नाम आधार कार्ड में त्रुटिवश मोहम्मद नोमान मंसूरी (mohammad Noman Mansuri) दर्ज हो गया है, जबकि मेरे पुत्र का सही नाम सभी शैक्षणिक दस्तावेजों और जन्म प्रमाण–पत्र में नोमान मंसूरी (Noman mansuri) ही अंकित है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे पुत्र को नोमान मंसूरी के नाम से ही जाना और पहचाना जाए और समस्त शासकीय कार्यवाही इसी नाम से मान्य हो.

आवेदक
(नौशाद मंसूरी)
पिता– श्री मुस्ताक मंसूरी.

(G-5478)

नाम परिवर्तन

मैं, संतोष मेवाड़ा पुत्र श्री गोपाल सिंह, निवासी– कुमड़ावदा, पोस्ट मैना, तहसील आष्टा, जिला सीहोर (म.प्र.). मेरे पुत्र के शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में उसका अंग्रेजी व हिन्दी में नाम व सरनेम राममूर्ति (RAMMURTI) पुत्र संतोष (SANTOSH) दर्ज हो गया है व अन्य शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में उसका नाम व सरनेम आकाश प्रताप सिंह मेवाड़ा (AKASH PRATAP SINGH MEWADA) पुत्र श्री संतोष मेवाड़ा (SANTOSH MEWADA) है. मेरे पुत्र के आधार कार्ड में उसका नाम त्रुटिवश राममूर्ति (RAMMURTI) पुत्र संतोष दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र का सही नाम व सरनेम आकाश प्रताप सिंह मेवाड़ा (AKASH PRATAP SINGH MEWADA) पुत्र श्री संतोष मेवाड़ा (SANTOSH MEWADA) है एवं भविष्य में इसी नाम व सरनेम से जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक
(संतोष मेवाड़ा)
पिता– श्री गोपाल सिंह.

(G-5479)

नाम परिवर्तन

मैं, हरिओम मिश्रा आत्मज श्री रमेश कुमार मिश्रा, निवासी– ग्राम ढाना, जिला सागर (म.प्र.). मेरे पुत्र का नाम आधार कार्ड में नाम कान्हा मिश्रा दर्ज है, जबकि मेरे पुत्र कान्हा मिश्रा का जन्म प्रमाण–पत्र एवं अंकसूची में आरभ्य मिश्रा है. अतः मेरे पुत्र का पूर्व नाम कान्हा मिश्रा परिवर्तित कर दिया हूँ, अब, उसे कान्हा मिश्रा के वजह आरभ्य मिश्रा के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं सम्बोधित किया जाये तथा आगे उसके आधार कार्ड एवं सभी दस्तावेजों में सुधार कर आरभ्य मिश्रा दर्ज किया जाये.

आवेदक
(हरिओम मिश्रा)
आत्मज– श्री रमेश कुमार मिश्रा.

(G-5480)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का नाम इति चडार पिता हरीशंकर चडार (ITI CHADAR D/o. HARISHANKAR CHADAR) है, परन्तु मेरी पुत्री के आधार कार्ड में उसका नाम इतिका पिता हरीशंकर चडार (ITIKA D/o. HARISHANKAR CHADAR) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, मेरी पुत्री का वास्तविक नाम इति चडार पिता हरीशंकर चडार (ITI CHADAR D/o. HARISHANKAR CHADAR) उसके जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है. इति चडार पिता हरीशंकर चडार (ITI CHADAR D/o. HARISHANKAR CHADAR) व इतिका पिता हरीशंकर चडार (ITIKA D/o. HARISHANKAR CHADAR) दोनों मेरी पुत्री के नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को इति चडार पिता हरीशंकर चडार (ITI CHADAR D/o. HARISHANKAR CHADAR) के नाम से जाना व पहचाना जावे.

आवेदक
(हरीशंकर चडार)
निवासी– भानपुरगंज, तहसील गैरतगंज,
जिला रायसेन (म.प्र.).

(G-5481)

नाम परिवर्तन

मैं, सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री मलखान सिंह, निवासी– वार्ड न. 13, खेरे की माता मुहल्ला, गढ़ीमलहरा, गौर, छतरपुर (म.प्र.). मेरे पुत्र के शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में उसका अंग्रेजी व हिन्दी में नाम व सरनेम उदय सिंह (UDAY SINGH) पुत्र सुरेन्द्र सिंह (SURENDRA SINGH) दर्ज हो गया है व अन्य शासकीय–अशासकीय दस्तावेजों में उसका नाम व सरनेम रिषभ ठाकुर (RISHABH THAKUR) पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह (SURENDRA SINGH) है. मेरे पुत्र के आधार कार्ड में उसका नाम त्रुटिवश उदय सिंह (UDAY SINGH) पुत्र सुरेन्द्र सिंह (SURENDRA SINGH) दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र का सही नाम व सरनेम रिषभ ठाकुर (RISHABH THAKUR) पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह (SURENDRA SINGH) है एवं भविष्य में इसी नाम व सरनेम से जाना–पहचाना जायेगा.

आवेदक
(सुरेन्द्र सिंह).

(G-5482)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम देवेन्द्र चौहान पिता महेंद्र सिंह चौहान (Devendra Chouhan S/o. Mahendra Singh Chouhan), निवासी– पाटन खुर्द, पोस्ट चाटूखेडा, जिला राजगढ (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश देवराज पिता महेन्द्र सिंह चौहान (Devraj S/o. Mahendra Singh) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. देवेन्द्र चौहान पिता महेंद्र सिंह चौहान व देवराज पिता महेंद्र सिंह चौहान दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं. मेरे पुत्र का सही नाम उसके शैक्षणिक दस्तावेज कक्षा 10वीं की अंकसूची व जन्म प्रमाण–पत्र में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र का नाम देवेन्द्र चौहान पिता महेंद्र सिंह चौहान (Devendra Chouhan S/o. Mahendra Singh Chouhan) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक
(महेन्द्र सिंह चौहान)
आत्मज– श्री बिरम सिंह.

(G-5483)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का नाम उमेरा सिद्दीकी पिता इमाम शांफई (UMERA SIDDIKQUI D/o. IMAM SAFAI), निवासी–होशंगाबाद के पास, तहसील होशंगाबाद, वार्ड न. 17, रोहना, होशंगाबाद (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश उमेरा पिता इमाम शाफई (UMERA D/o. IMAM SAFAI) अंकित हो गया है, जो कि गलत है, उमेरा पिता इमाम शाफई उमेरा सिद्दीकी पिता इमाम शाफाई दोनों मेरी पुत्री के नाम हैं. मेरी पुत्री का सही नाम उसके शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री का नाम उमेरा सिद्दीकी पिता इमाम शाफई (UMERA SIDDIKQUI D/o. IMAM SAFAI) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक
(इमाम शाफई)
पिता– अब्दुल.

(G-5484)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का सही नाम अनुष्का कुशवाह पिता राजेंद्र कुशवाह (ANUSHKA KUSHWAHA D/o. RAJENDRA KUSHWAHA) है, परन्तु मेरी पुत्री का नाम उसके आधार कार्ड में त्रुटिवश anyhow kushwaha पिता राजेंद्र कुशवाह (anyhow kushwaha D/o. Rajendra Kushwaha) दर्ज हो गया हैं, जो कि गलत है, मेरी पुत्री का सही नाम अनुष्का कुशवाह पिता राजेंद्र कुशवाह (ANUSHKA KUSHWAHA D/o. RAJENDRA KUSHWAHA) उसके जन्म प्रमाण–पत्र व कक्षा 8वीं की अंकसूची में दर्ज हैं. अनुष्का कुशवाह पिता राजेंद्र कुशवाह (ANUSHKA KUSHWAHA D/o. RAJENDRA KUSHWAHA) व anyhow kushwaha पिता राजेंद्र कुशवाह (anyhow kushwaha D/o. Rajendra Kushwaha) दोनों एक ही महिला के नाम हैं. मैं, मेरी पुत्री का सही नाम उसके आधार कार्ड / शैक्षणिक / अशैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज कराना चहाता हूँ. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को अनुष्का कुशवाह पिता राजेंद्र कुशवाह (ANUSHKA KUSHWAHA D/o. RAJENDRA KUSHWAHA) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक
(राजेंद्र कुशवाह)
निवासी– ग्राम सीतापुर,
जिला दतिया (म.प्र.).

(G-5485)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का नाम अंकिता चडार पिता हरीशंकर चडार (ANKITA CHADAR D/o. HARISHANKAR CHADAR) है, परन्तु मेरी पुत्री के आधार कार्ड में उसका नाम सुरभि पिता हरीशंकर चडार (SURBHI D/o. HARISHANKAR CHADAR) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का नाम अंकिता चडार पिता हरीशंकर चडार (ANKITA CHADAR D/o. HARISHANKAR CHADAR) उसके जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है. अंकिता चडार पिता हरिशंकर चडार (ANKITA CHADAR D/o. HARISHANKAR CHADAR) व सुरभि पिता हरीशंकर चडार (SURBHI D/o. HARISHANKAR CHADAR) दोनों मेरी पुत्री के नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को अंकिता चडार पिता हरीशंकर चडार के नाम से जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक
(हरीशंकर चडार)
निवासी– भानपुरगंज, तहसील गैरतगंज,
जिला रायसेन (म.प्र.).

(G-5486)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम वेदांश मिश्रा पिता हर्ष कुमार मिश्रा (VEDANSH MISHRA S/o. HARSH KUMAR MISHRA), निवासी– भागोर, दतिया (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नैतिक मिश्रा पिता हर्ष कुमार मिश्रा (NAITIK MISHRA S/o. HARSH KUMAR MISHRA) अंकित हो गया हैं, जो कि गलत है, वेदांश मिश्रा पिता हर्ष कुमार मिश्रा (VEDANSH MISHRA S/o. HARSH KUMAR MISHRA) व नैतिक मिश्रा पिता हर्ष कुमार मिश्रा (NAITIK MISHRA S/o. HARSH KUMAR MISHRA) दोनों मेरे पुत्र के नाम हैं. मेरे पुत्र का सही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र शैक्षणिक दस्तावेजों की अंकसूची में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र का नाम वेदांश मिश्रा पिता हर्ष कुमार मिश्रा (VEDANSH MISHRA S/o. HARSH KUMAR MISHRA) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(हर्ष कुमार मिश्रा)

पिता– कौशल किशोर मिश्रा.

(G-5487)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र के आधार कार्ड एवं पासपोर्ट में उसका नाम दिव्य प्रताप सिंह बिसेन दर्ज है, जो कि बड़ा नाम है, जबकि मेरे पुत्र का नाम अनवय सिंह (ANVAY SINGH) करवाना चाहता हूँ. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों आधार कार्ड, पासपोर्ट एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में अनवय सिंह (ANVAY SINGH) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(जयराज सिंह)

पिता– रामराज सिंह

निवासी– प्लाट नं. 65ए, ब्रम्हऋषि कॉलोनी,

ग्वारीघाट, जबलपुर (म.प्र.).

(G-5488)

नाम परिवर्तन

मैं, महावीर सिंह परिहार पुत्र स्व. श्री राधेश्याम सिंह जी परिहार, निवासी– 203, आनंद हेरिटेज, विचौली मर्दाना, इन्दौर (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश लक्ष्या परिहार (LAKSHYA PARIHAR) नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि उसके जन्म प्रमाण–पत्र पर लक्ष्यराज सिंह परिहार (LAKSHYARAJ SINGH PARIHAR) नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम लक्ष्यराज सिंह परिहार (LAKSHYARAJ SINGH PARIHAR) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(महावीर सिंह परिहार)

पुत्र– स्व. श्री राधेश्याम सिंह जी परिहार.

(G-5489)

नाम परिवर्तन

विवाह पूर्व मेरी पहचान कल्पना नायडू पुत्री नवीन कुमार नायडू के नाम से होती थी. मेरा विवाह इकबाल खान आफरीदी से होने के पश्चात् मेरा नाम एवं पहचान कशिश आफरीदी के रूप में हो गई है. अतः प्रकाशन उपरांत से मेरे सभी पहचान–पत्रों एवं सम्बन्धित दस्तावेजों में मेरा नाम कशिश आफरीदी पत्नी इकबाल खान आफरीदी के रूप में होगी.

प्रार्थिनी
(कशिश आफरीदी)
पत्नी– इकबाल खान आफरीदी.

(G-5490)

नाम परिवर्तन

मैं, अमीता चौहान पत्नी श्री अमरजीत सिंह चौहान. मेरी पुत्री राजवी चौहान पुत्री श्री अमरजीत सिंह चौहान के आधार कार्ड में उसका त्रुटिवश नाम कनक चौहान अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री के आधार कार्ड में सही नाम राजवी चौहान पुत्री श्री अमरजीत सिंह चौहान अंकित किया जाये.

आवेदिका
(अमीता चौहान)
पत्नी – श्री अमरजीत सिंह चौहान
पता– वार्ड नं. 5, चौहान मोहल्ला,
फुरताला, तहसील केसरी, होशंगाबाद
(नर्मदापुरम) (म.प्र.).

(G-5491)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स तिरुपति डेवलपर्स पार्टनर्शिप फर्म पंजीयन क्रमांक 02/42/01/0122/25, दिनांक 30 जून 2025 में निम्न बदलाव हुए हैं. 1. श्री दिपक जादौन पुत्र श्री कप्तान सिंह जादौन, निवासी– सिटी सेन्टर, तेन्दुलकर मार्ग, ग्वालियर (म.प्र.) को दिनांक 1 दिसम्बर 2024 से फर्म से हटाया गया एवं श्री यश अग्रवाल पुत्र श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल, निवासी– 14, खेरापति कॉलोनी, ग्वालियर (म.प्र.) दिनांक 1 दिसम्बर 2024 से फर्म में सम्मिलित हुये.

मेसर्स तिरुपति डेवलपर्स
मुनेन्द्र सिंह गोर
(भागीदार).

(G-5492)

नाम परिवर्तन

मैं, ज्योति माधवानी पत्नी चेतन कुमार माधवानी, निवासी– म.नं. जी–82, अशोका गार्डन, विनायक होम्स कॉलोनी, हुजूर, सिंकदरी सराय, भोपाल (म.प्र.). मेरी पुत्री इशिता माधवानी के शैक्षणिक दस्तावेजों में त्रुटिवश पिता का नाम चेतन माधवानी (CHETAN MADHWANI) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण–पत्र एवं आधार कार्ड पर इशिता माधवानी (ISHITA MADHWANI) पुत्री चेतन कुमार माधवानी (CHETAN KUMAR MADHWANI) नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री के सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम इशिता माधवानी (ISHITA MADHWANI) पुत्री चेतन कुमार माधवानी (CHETAN KUMAR MADHWANI) के नाम से जानी–पहचानी जावेगी.

आवेदिका
(ज्योति माधवानी)
पत्नी– चेतन कुमार माधवानी.

(G-5493)

नाम परिवर्तन

मैं, बाला दीन अहिरवार पुत्र गोरे लाल अहिरवार, निवासी–म.नं. सी–722, फेस 1, वार्ड नं. 16, अच्छेलाल कॉलोनी, नौगांव, छतरपुर (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश इन्द्रपाल अहिरवार (INDRAPAL AHIRWAR) नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में अमीर अहिरवार (AMIR AHIRWAR) नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम अमीर अहिरवार (AMIR AHIRWAR) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक
(बाला दीन अहिरवार)
पुत्र– गोरे लाल अहिरवार.

(G-5494)

नाम परिवर्तन

मैं, मुस्कान चौधरी पिता श्री जगदीश चौधरी मेरी दसवीं की अंकसूची में त्रुटिवश मेरा नाम मुस्कान (MUSKAN) एवं आधार कार्ड मे राधा (RADHA) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरे जन्म प्रमाण–पत्र में मेरा नाम मुस्कान चौधरी (MUSKAN CHOUDHARY) है मुस्कान एवं राधा दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मुस्कान चौधरी (MUSKAN CHOUDHARY) के नाम से ही जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(मुस्कान/राधा)
(MUSKAN / RADHA)

नया नाम
(मुस्कान चौधरी)
(MUSKAN CHOUDHARY)
पिता– श्री जगदीश चौधरी
निवासी– महाराणा प्रताप वार्ड,
जिला कटनी (म.प्र.).

(G-5495)

नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व में नाम विजय शर्मा जांगीड (VIJAY SHARMA JANGID) पिता जगदीश शर्मा जांगीड था, जो मेरे कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में अंकित है, किन्तु मैंने अपना नाम परिवर्तित कर विजय जांगीड (VIJAY JANGID) पिता जगदीश जांगीड कर लिया है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे सभी दस्तावेजों में विजय शर्मा जांगीड के स्थान पर मेरा परिवर्तित नाम विजय जांगीड (VIJAY JANGID) पिता जगदीश जांगीड लिखा–पढ़ा एवं जाना–पहचाना व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(विजय शर्मा जांगीड)
(VIJAY SHARMA JANGID)

नया नाम
(विजय जांगीड)
(VIJAY JANGID)
पिता– जगदीश जांगीड
निवासी– 34, स्लाईस 1, सेक्टर सी,
स्कीम नं 78, इन्दौर (म.प्र.).

(G-5496)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम राजू शर्मा जांगीड (RAJU SHARMA JANGID) पिता जगदीश शर्मा जांगीड था, जो मेरे कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में अंकित है, किन्तु मैंने अपना नाम परिवर्तित कर राजू जांगीड (RAJU JANGID) पिता जगदीश जांगीड कर लिया है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे सभी दस्तावेजों पर राजू शर्मा जांगीड के स्थान पर मेरा परिवर्तित नाम राजू जांगीड (RAJU JANGID) पिता जगदीश जांगीड लिखा–पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना–पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम
(राजू शर्मा जांगीड)
(RAJU SHARMA JANGID)

नया नाम
(राजू जांगीड)
(RAJU JANGID)
पिता– जगदीश जांगीड
निवासी– 34, एस.एल. 1,
स्कीम नं 78, इन्दौर (म.प्र.).

(G-5497)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का सही नाम युगराज सिंह घोरिया (YUGRAJ SINGH GHORIYA) पिता अवतार सिंह घोरिया है, जो कि उसके जन्म प्रमाण–पत्र एवं उसके शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित है, किन्तु मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम युवराज सिंह घोरिया (YUVRAJ SINGH GHORIYA) पिता अवतार सिंह दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र के सभी दस्तावेजों में युवराज सिंह घोरिया के स्थान पर युगराज सिंह घोरिया (YUGRAJ SINGH GHORIYA) पिता अवतार सिंह घोरिया लिखा–पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना–पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

आवेदक
(अवतार सिंह घोरिया)
निवासी– 346, बापू गॉधी नगर,
इन्दौर (म.प्र.).

(G-5498)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम शिवांश मौर्य (SHIVANSH MAURYA) पिता मनीष मौर्य है, जो कि उसके जन्म प्रमाण–पत्र एवं उसके शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित है, किन्तु मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम सहर्ष (SAHARSH) पिता मनीष दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र के सभी दस्तावेजों में सहर्ष के स्थान पर उसका सही नाम शिवांश मौर्य (SHIVANSH MAURYA) पिता मनीष मौर्य लिखा–पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना–पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

आवेदक
(मशीष मौर्य)
निवासी– ए 7, आनंद नगर, नानाखेड़ा,
उज्जैन (म.प्र.).

(G-5499)

नाम परिवर्तन

विवाह पूर्व मेरा नाम आरती चुघ (AARTI CHUGH) पिता श्री आनंदराम चुघ था, जो कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों, पैन कार्ड एवं आधार कार्ड पर अंकित है. श्री मुकेश तलरेजा से विवाह के उपरान्त मेरा नाम कशिश तलरेजा (KASHISH TALREJA) पति श्री मुकेश तलरेजा हो गया है, जो कि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र पर अंकित है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे कशिश तलरेजा (KASHISH TALREJA) पति श्री मुकेश तलरेजा के नाम से जानी–पहचानी जाऊंगी.

पुराना नाम
(आरती चुघ)
(AARTI CHUGH)

नया नाम
(कशिश तलरेजा)
(KASHISH TALREJA)
पति– स्व. मुकेश तलरेजा
निवासी– 94, कांती कृपलानी नगर,
इन्दौर (म.प्र.).

(G-5500)

उपनाम परिवर्तन

मैं, श्वेता भलावत पूर्व में मेरे पुत्र का नाम भौमिक जैन (BHAUMIK JAIN) पिता श्रीपाल जैन था, जो कि उसके कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज है, किन्तु मेरा द्वितीय विवाह ललित भलावत (LALITA BHALAWAT) से होने के पश्चात् अब मेरे पुत्र का नाम भौमिक भलावत (BHAUMIK BHALAWAT) पिता श्रीपाल दत्तक पिता ललित भलावत हो गया है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र के सभी दस्तावेजों में उसका नाम भौमिक भलावत (BHAUMIK BHALAWAT) लिखा–पढ़ा जावे एवं भविष्य में इसी नाम से जाना–पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम
(भौमिक जैन)
(BHAUMIK JAIN)

नया नाम
(भौमिक भलावत)
(BHAUMIK BHALAWAT)
दत्तक पिता– ललित भलावत
निवासी– 106, मंहत कॉम्पलेक्स, 30,31 नार्थ
यशवंत गंज, इन्दौर (म.प्र.).

(G-5501)

नाम परिवर्तन

मैं, सिमरन मीना पत्नी दिनेश कुमार मीना, निवासी– ग्राम भियाखेडी, खामखेड़ा, कस्बा, विदिशा (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश राजकलीबाई (RAJAKALEEBAEE) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरी पुत्री की अंकसूची में मेरा सही नाम सिमरन मीना (SIMRAN MEENA) दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम सिमरन मीना (SIMRAN MEENA) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(राजकलीबाई)
(RAJAKALEEBAEE)

नया नाम
(सिमरन मीना)
(SIMRAN MEENA).

(G-5502)

नाम परिवर्तन

मैं, ऋषि सिंह पुत्र हरी सिंह, निवासी– वार्ड नं. 13, हलकारा मोहल्ला, ब्यावरा, राजगढ़ (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश जगदीश दांगी (JAGDISH DANGI) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे वोटर कार्ड पर ऋषि सिंह (RISHI SINGH) नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम ऋषि सिंह (RISHI SINGH) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(जगदीश दांगी)
(JAGDISH DANGI)

नया नाम
(ऋषि सिंह)
(RISHI SINGH).

(G-5503)

नाम परिवर्तन

मैं, राजेश तिवारी. मेरे सर्विस रिकार्ड/सेवा–अभिलेख में मेरा नाम राजेश कुमार तिवारी आत्मज श्री रामस्वरूप तिवारी (Rajesh Kumar Tiwari) लिखा जा रहा है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम राजेश तिवारी (Rajesh Tiwari) आत्मज श्री रामस्वरूप तिवारी है, जो कि मेरे अन्य शासकीय अभिलेखों तथा आधार कार्ड, पैन कार्ड, समग्र आई.डी. में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम राजेश तिवारी (Rajesh Tiwari) आत्मज श्री रामस्वरूप तिवारी के नाम से जाना–पहचाना जावे तथा मेरी सेवा–पुस्तिका एवं शासकीय अभिलेखों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(राजेश कुमार तिवारी)
(Rajesh Kumar Tiwari)

नया नाम
(राजेश तिवारी)
(Rajesh Tiwari).

(G-5504)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम शासकीय रिकार्ड में त्रुटिवश राकेश शर्मा पिता श्री प्रेमचन्द शर्मा दर्ज है, जो कि गलत है, जबकि मेरा सही नाम राकेश कुमार शर्मा, पिता श्री प्रेमचन्द शर्मा है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे राकेश शर्मा के स्थान पर मेरा सही नाम राकेश कुमार शर्मा पिता श्री प्रेमचन्द शर्मा लिखा व पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(राकेश शर्मा)
(RAKESH SHARMA)

नया नाम
(राकेश कुमार शर्मा)
(RAKESH KUMAR SHARMA).

(G-5505)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम शिव पाटीदार (SHIV PATIDAR) जो कि विद्यालय के समस्त दस्तावेजों, जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है. आधार कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश शिवल पाटीदार (SHIVAL PATIDAR) दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरांत आधार कार्ड में मेरा नाम शिवल पाटीदार (SHIVAL PATIDAR) के स्थान पर शिव पाटीदार (SHIV PATIDAR) मान्य किया जावे.

पुराना नाम
(शिवल पाटीदार)

नया नाम
(शिव पाटीदार).

(G-5506)

नाम परिवर्तन

मैं, भाई जी जाटव पिता नन्हेलाल जाटव, निवासी–ग्राम सिंगोठा टोला, गाडरवारा, नरसिंहपुर (म.प्र.). मेरे पुत्र शुभम कुमार जाटव (SHUBHAM KUMAR JATAV) पिता भाई जी जाटव (BHAI JI JATAV) उसके जन्म प्रमाण–पत्र एवं दसवीं की मार्कशीट में भी उसका नाम शुभम कुमार जाटव (SHUBHAM KUMAR JATAV) पिता भाई जी जाटव (BHAI JI JATAV) लिखा हुआ है, जबकि त्रुटिवश उसके आधार कार्ड में हरिशंकर जाटव (HARISHANKAR JATAV) पिता भाई जी जाटव (BHAI JI JATAV) लिखा हुआ है. अतः प्रकाशन उपरांत उसके नाम को शुभम कुमार जाटव (SHUBHAM KUMAR JATAV) पिता भाई जी जाटव (BHAI JI JATAV) लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक
(भाई जी जाटव).

(G-5507)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का नाम रिया मीणा (RIYA MEENA) पिता राकेश मीणा (RAKESH MEENA), निवासी– ग्राम परवरिया, तह. बैरसिया, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में उसका नाम परी मीणा (PARI MEENA) पिता राकेश मीणा (RAKESH MEENA) अंकित हो गया है तथा मेरी पुत्री के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक दस्तावेजों में उसका नाम रिया मीणा (RIYA MEENA) पिता राकेश मीणा (RAKESH MEENA) दर्ज हैं. रिया मीणा व परी मीणा मेरी पुत्री के नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को रिया मीणा (RIYA MEENA) पिता राकेश मीणा (RAKESH MEENA) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक
(राकेश मीणा).

(G-5508)

नाम परिवर्तन

मैं, दिनेश कुमार पुत्र भगवान लाल, निवासी–वार्ड नं. 11, आगर दरवाजा, पिपलीपुरा, तहसील बड़ौद, जिला आगर मालवा, (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम दिनेशचंद चौहान (DINESHCHAND CHOUHAN) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम दिनेश कुमार (DINESH KUMAR) दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम दिनेश कुमार (DINESH KUMAR) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(दिनेशचंद चौहान)
(DINESHCHAND CHOUHAN)

नया नाम
(दिनेश कुमार)
(DINESH KUMAR).

(G-5509)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम प्रियंका यादव पत्नी महेंद्र यादव (PRIYANKA YADAV W/o. MAHENDRA YADAV), निवासी– 43, खुराजान, ग्राम सहसराम, विजयपुर, श्योपुर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम माया पत्नी महेंद्र (MAYA W/o. MAHENDRA) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम जन्म प्रमाण–पत्र व मतदाता पहचान–पत्र में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरा नाम प्रियंका यादव पत्नी महेंद्र यादव (PRIYANKA YADAV W/o. MAHENDRA YADAV) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(माया)
(MAYA)
पत्नी – महेंद्र
(MAHENDRA)

नया नाम
(प्रियंका यादव)
(PRIYANKA YADAV).
पत्नी– महेंद्र यादव
W/o. MAHENDRA YADAV.

(G-5510)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम बलराम सोलंकी पुत्र डोमा सोलंकी (BALRAM SOLANKI S/o. DOMA SOLANKI), निवासी– ग्राम बालेगांव, ढाबला, मुलताई, बैतूल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम बल्ला सोलंकी पुत्र डोमा सोलंकी (BALLA SOLANKI S/o. DOMA SOLANKI) अंकित हो गया हैं, जो कि गलत है. बलराम सोलंकी पुत्र डोमा व बल्ला सोलंकी पुत्र डोमा सोलंकी दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं. मेरा सही नाम मतदाता पहचान–पत्र में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरा नाम बलराम सोलंकी पुत्र डोमा सोलंकी (BALRAM SOLANKI S/o. DOMA SOLANKI) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(बल्ला सोलंकी)
(BALLA SOLANKI)

नया नाम
(बलराम सोलंकी)
(BALRAM SOLANKI).
पुत्र– डोमा सोलंकी
S/o. DOMA SOLANKI.

(G-5511)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम रामकिशोर महरा पुत्र रामसेवक महरा (RAMKISHOR MAHRA S/o. RAMSEWAK MAHRA), निवासी– वार्ड नं. 1, केल्हौरी, अमलाई, अनूपपुर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम बबलू महरा पुत्र रामसेवक महरा (BABALU MAHRA S/o. RAMSEWAK MAHRA) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम पैन कार्ड में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरा नाम रामकिशोर महरा पुत्र रामसेवक महरा (RAMKISHOR MAHRA S/o. RAMSEWAK MAHRA) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(बबलू महरा)
(BABALU MAHRA)

नया नाम
(रामकिशोर महरा)
(RAMKISHOR MAHRA).
पुत्र– रामसेवक महरा
S/o. RAMSEWAK MAHRA.

(G-5512)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम वारो बाई (VARO BAI), जो कि गलत है, जिसे बदलकर मैंने अपना सही नाम से रज्जो बाई (RAJJO BAI) रख लिया है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे नये नाम रज्जो बाई (RAJJO BAI) के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम
(वारो बाई)
(VARO BAI)

नया नाम
(रज्जो बाई)
(RAJJO BAI)
पत्नी– राम प्रसाद
पता– उदयपुरा, जिला रायसेन (म.प्र.).

(G-5513)

नाम परिवर्तन

मैं, तरूणा लालवानी पत्नी श्री विनोद लालवानी, निवासी– 32, राजमहल कॉलोनी, खुशी अपार्टमेंट फ्लेट नं. 7, इंदौर (म.प्र.). मेरे पुत्र विवान लालवानी के जन्म प्रमाण–पत्र मेरा नाम क्रिषा लालवानी (कृष्णा) लिखा गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा सही नाम तरूणा लालवानी पत्नी श्री विनोद लालवानी लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदिका
(तरूणा लालवानी).

(G-5514)

नाम परिवर्तन

मैं, मुकेश पुत्र नन्नूलाल, निवासी– 06, दांगी मोहल्ला, ग्राम पोस्ट सेमरादांगी, सीहोर (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम अभिलाष (ABHILASH) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में अविनाश (AVINASH) नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम अविनाश (AVINASH) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक
(मुकेश)
पुत्र– नन्नूलाल.

(G-5515)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम सुनीता चौहान पत्नी स्व. गजराज सिंह चौहान (SUNITA CHOUHAN W/o. LATE GAJRAJ SINGH CHOUHAN), निवासी– म.नं. 216, सुदामा नगर, भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम बेबी बाई पिता खण्डू (BAIBY BAI D/o. KHANDU) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरे निर्वाचन आयोग कार्ड में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे सुनीता चौहान पत्नी स्व. गजराज सिंह चौहान (SUNITA CHOUHAN W/o. LATE GAJRAJ SINGH CHOUHAN) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(बेबी बाई पिता खण्डू)
(BAIBY BAI D/o. KHANDU)

नया नाम
(सुनीता चौहान)
(SUNIYA CHOUHAN)
पत्नी– स्व. गजराज सिंह चौहान
(W/o. LATE GAJRAJ SINGH CHOUHAN).

(G-5516)

नाम परिवर्तन

मैं, ओंकार यादव पिता बुद्धसेन यादव, निवासी– ग्राम व पोस्ट पसला, जिला अनूपपुर (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में उसका नाम निमिषा पुत्री ओंकार यादव दर्ज है एवं स्कूल रिकार्ड में अपेक्षा यादव पुत्री ओंकर यादव दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत जहां कहीं भी मेरी पुत्री का नाम निमिषा पुत्री ओंकार यादव लिखा हो उसके स्थान पर अपेक्षा यादव पुत्री ओंकार यादव लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक
(ओंकार यादव)
पिता– बुद्धसेन यादव.

(G-5517)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम दक्षेश महावर (Daxhesh Mahawar) था, जो कि परिवर्तित करके अक्षेश महावर (Aksesh Mahawar) कर लिया गया है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे अक्षेश महावर (Aksesh Mahawar) के नाम से ही जाना–पहचाना जावे एवं समस्त शासकीय व अशासकीय अभिलेखों में भी उक्त नाम दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(दक्षेश महावर)
(Daxhesh Mahawar)

नया नाम
(अक्षेश महावर)
(Aksesh Mahawar)
पता– डी 5, डी–टाईप, क्वार्टर 1st, स्ट्रीट सेक्टर–3,
आर.आर. कैट कॉलोनी, कैट, इन्दौर (म.प्र.).

(G-5518)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का सही नाम कृतार्थ खंडेलवाल (KRATARTH KHANDELWAL) यही नाम मेरे पुत्र के स्कूल परिचय–पत्र एवं जन्म प्रमाण–पत्र पर लिखा हुआ है, परन्तु उसके आधार कार्ड में त्रुटि के कारण मेरे पुत्र का नाम कृताप खंडेलवाल (KRITAP KHANDELWAL) लिखा गया है. मुझे अपने पुत्र के आधार कार्ड में उसका सही नाम कृतार्थ खंडेलवाल (KRATARTH KHANDELWAL) लिखवाना है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को कृतार्थ खंडेलवाल (KRATARTH KHANDELWAL) के नाम से समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक
(विपिन खंडेलवाल)
पिता– श्री प्रकाश चंद्र प्रकाश खंडेलवाल
पता– सौदागर, संतर, मुरार, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-5519)

नाम परिवर्तन

मैं, राममूर्ति बाई राजपूत पत्नी धीरज सिंह, निवासी– ग्राम खदडेला, पोस्ट बमोरी, तहसील व जिला गुना (म.प्र.). मेरा पूर्व में नाम गुड्डी बाई राजपूत पत्नी धीरज सिंह था तथा यही नाम मेरे समस्त शासकीय/अशासकीय प्रपत्रों में दर्ज था. अब मैंने नाम परिवर्तित कर राममूर्ति बाई राजपूत पत्नी धीरज सिंह कर लिया गया है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे राममूर्ति बाई राजपूत पत्नी धीरज सिंह के नाम से जाना–पहचाना जावे तथा शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(गुड्डी बाई राजपूत)

नया नाम
(राममूर्ति बाई राजपूत)
पत्नी– धीरज सिंह.

(G-5520)

नाम परिवर्तन

मैं, बृजनन्दन प्रजापति अपने पुत्र शिवम प्रजापति (SHIVAM PRAJAPATI) पुत्र श्री बृजनन्दन का नाम परिवर्तित कर शुभम प्रजापति (SHUBHAM PRAJAPATI) पुत्र श्री बृजनन्दन प्रजापति एवं माता श्रीमती श्रीदेवी प्रजापति कराना चाहता हूँ. जिसमें दस्तावेज जैसे अन्य पिछडा वर्ग का स्थाई जाति प्रमाण–पत्र में (शुभम प्रजापति) समग्र परिवार कार्ड में शुभम (SHUBHAM) स्थाई निवास प्रमाण–पत्र में शुभम प्रजापति (SHUBHAM PRAJAPAT) शैक्षणिक दस्तावेजों में शुभम प्रजापति (SHUBHAM PRAJAPATI) जन्म प्रमाण–पत्र में शुभम प्रजापति (SHUBHAM PRAJAPATI) आधार कार्ड एवं सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की पासबुक में शिवम (SHIVAM PRAJAPATI) का नाम दर्ज चला आ रहा है, जो कि एक ही व्यक्ति के नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे पुत्र के समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में शुभम प्रजापति (SHUBHAM PRAJAPATI) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(शिवम प्रजापति)
(SHIVAM PRAJAPATI)

नया नाम
(शुभम प्रजापति)
(SHUBHAM PRAJAPATI).

(G-5521)

नाम परिवर्तन

मैं, गौरव जैन पुत्र श्री विनोद कुमार जैन, निवासी– बजरिया मोहल्ला, वार्ड नंबर–15, अशोकनगर (म.प्र.). मेरे पुत्र के समस्त दस्तावेजों में नाम अविरल जैन दर्ज है, जिसे परिवर्तित कर कार्यांश जैन दर्ज किया जावे. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे पुत्र को कार्यांश जैन नाम से जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक
(गौरव जैन).

(G-5522)

नाम परिवर्तन

मैं, परमाल आत्मज श्री जनवेद, निवासी– ग्राम पचोरखा पोस्ट सियावली, जिला भिंड (म.प्र.). मेरे पुत्र बलराम चिराग के आधार कार्ड में मेरे पुत्र का नाम त्रुटिवश चिराग अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम बलराम चिराग है, जो कि उसके जन्म प्रमाण–पत्र में अंकित है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र का सही नाम बलराम चिराग उसके आधार कार्ड व समस्त शासकीय/अशासकीय/अर्द्धशासकीय/शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित कर जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक
(परमाल).

(G-5523)

नाम परिवर्तन

मैं, राधा शर्मा पुत्री मुकेश शर्मा, निवासी– ग्राम सांटा, उम्मेद गढ़, बांसी, तहसील जौरा, जिला मुरैना (म.प्र.). मेरा पूर्व में नाम ऋतु पुत्री मुकेश शर्मा मेरे आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में लिखा हुआ है, मुझे राधा शर्मा पुत्री मुकेश शर्मा के नाम से जाना जाता है. ऋतु व राधा शर्मा मेरे ही नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में राधा शर्मा पुत्री मुकेश शर्मा किया जाये.

पुराना नाम
(ऋतु)

नया नाम
(राधा शर्मा)
पुत्री– मुकेश शर्मा.

(G-5524)

नाम परिवर्तन

मैं, गुड्डी बाई पति प्रभुलाल, निवासी– म.नं. 107, ग्राम आक्यादेह, पोस्ट सुजापुर, तहसील जावरा, जिला रतलाम (म.प्र.). मेरा नाम कुछ शासकीय, अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में आशा बाई काले पति प्रभुलाल काले अंकित है. मुझे दोनों नामों से जाना–पहचाना जाता है एवं दोनों नाम एक ही महिला के हैं. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मुझे गुड्डी बाई (GUDDI BAI) पति प्रभुलाल (PRABHULAL) के नाम से जानी–पहचानी जाऊंगी.

प्रार्थिनी
(गुड्डी बाई)
पति– प्रभुलाल.

(G-5525)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम डॉ. मारिया हुसैन (Dr. Mariya Husain) पुत्री ताहैर हुसैन (Taher Husain) पत्नी इब्राहीम लतीफ (Ibrahim Lateef), निवासी– नियर बोहरा मस्जिद, हरदा (म.प्र.) मेरे आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस एवं पैन कार्ड में यही नाम दर्ज है. शैक्षणिक अंकसूचियां एवं डिग्री और पासपोर्ट तथा अन्य शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मेरा एवं मेरे पिता का नाम गलत एवं त्रुटिपूर्ण लिखा है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे सही नाम डॉ. मारिया हुसैन (Dr. Mariya Husain) पुत्री ताहैर हुसैन (Taher Husain) पत्नी इब्राहीम लतीफ (Ibrahim Lateef) के नाम से ही जानी एवं पहचानी जाऊंगी.

पुराना नाम
(मारिया हुसैन)
(Mariya Hussain)

नया नाम
(डॉ. मारिया हुसैन)
(Dr. Mariya Husain)
पुत्री– ताहैर हुसैन
(Taher Husain)
पत्नी– इब्राहीम लतीफ
(Ibrahim Lateef).

(G-5526)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व मुरार, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 28 अगस्त 2025

प्रारुप– 4

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 05 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5(1) के देखिए]

प्र.क्र.–02–2025–26–बी–113(4).– आवेदक श्रीमती किशोरी देवी पत्नी स्व. श्री दर्शन सिंह, निवासी– पिन्टो पार्क मुरार, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश ट्रस्ट स्व. डॉ. दर्शन सिह मानव सेवा ट्रस्ट स्थान पिंन्टो पार्क मुरार, जिला ग्वालियर ,मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 की 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयक के लिये आवेदन किया है. एतदद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 29 सितम्बर 2025 को विचार के लिये दिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उस बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने पर विचार रखता हो तो उसे इस सूचना को लोक न्यास को दे जिसका कि वह गठन करती है.

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व मुरार, जिला ग्वालियर लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में, दिनांक 28 अगस्त 2025 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में द्वारा यह अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः, एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी या उसमें हित रखने वाली और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से 01 माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और न्यायालय में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगाः–

अनुसूची

1. लोक न्यास का नाम और पता	–	स्व. डॉ. दर्शन सिह मानव सेवा ट्रस्ट पिन्टो पार्क मुरार, ग्वालियर (म.प्र.).
2. लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन चल सम्पत्ति/अचल सम्पत्ति	–	10,000/– रुपये.

एन.सी. गुप्ता, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(G-5527)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास सोहागपुर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश

सोहागपुर, दिनांक 26 अगस्त 2025

प्रारुप क्रमांक – 4(1)

क्र.–1–बी–113–2024–25.– यतः कि डॉ. जयकृष्ण तिवारी न्याय, पता– कल्याणपुर, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल, (म.प्र.). स्थायी पता– वार्ड नम्बर 16 सिंचाई विभाग के पीछे थाना कोतवाली, शहडोल जिला शहडोल, (म.प्र.) द्वारा डॉ. जयकृष्ण तिवारी न्यास कल्याणपुर तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल, (म.प्र.) को लोक न्यास अधिनियम, 1951

(1951 का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन एवं संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्याय के रूप में पंजीयन किये जाने के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा राजपत्र में प्रकाशन हेतु सूचना–पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन–पत्र अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 11 सितम्बर 2025 को समय 10:30 बजे मेरे न्यायालय में विचार में लिया जायेगा.

अतः, तत्संबंध में किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना–पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करें और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख को व्यक्तिशः अथवा अभिकर्ता, अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हों. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगाः–

अनुसूची

1. लोक न्यास का नाम व पता	–	डॉ. जयकृष्ण तिवारी न्यास, कल्याणपुर, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल, (म.प्र.).
2. अचल सम्पत्ति का विवरण	–	ग्राम कल्याणपुर की आराजी खसरा नम्बर 58 रकबा 1.639 हे. का जुज रकबा 0.25 डिसमिल.
3. चल सम्पत्ति का विवरण	–	निल.
4. उद्देश्य	–	अ. सनातन वैदिक धर्म एवं संस्कृति का प्रचार
		ब. सनातन समाज के अध्यात्मिक एवं नैतिक उन्नति हेतु कार्यक्रम आयोजन
		स. सनातन समाज के मौलिक हितों का संरक्षण
		द. सनातन समाज के अन्दर व्याप्त कुरीतियों में सुधार
		ई. भगवान परशुराम धाम का निर्माण/व्यवस्था एवं रखरखाव.
5. ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र	–	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राजस्व सीमा.

अतः, आज दिनांक 26 अगस्त 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-5528) **अरविंद शाह,** अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

न्यायालय, कलेक्टर एवं लोक न्यास पंजीयक, जिला आगर–मालवा, मध्यप्रदेश

आगर–मालवा, दिनांक 19 अगस्त 2025

प्रारूप क्रमांक – 4

[देखे नियम 5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक कलेक्टर जिला आगर–मालवा के समक्ष–

क्रमांक–लोक न्यास–2025.– यतः, कि श्री जयंत कुमार धूपिया पिता श्री प्रेमचंद जी धूपिया, निवासी– वार्ड नम्बर 05 नलखेडा, तहसील नलखेडा, जिला आगर–मालवा (म.प्र.). मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन किया है, एतद्द्वारा सूचना–पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 8 अक्टूबर 2025 पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा.

अतः मैं, राघवेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं लोक न्यास पंजीयक, जिला आगर–मालवा, मध्यप्रदेश का लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में, दिनांक 8 अक्टूबर 2025 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूं.

अतः, एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस सूचना–पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपतियों को विचार में नहीं लिया जाएगाः–

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

श्री पार्श्व कुशल सूरि खरतर गच्छ दादावाडी ट्रस्ट, नलखेडा जिला आगर–मालवा, मध्यप्रदेश वर्तमान में उक्त ट्रस्ट के स्वामित्व की ग्राम गुदरावन, तहसील नलखेडा के भूमि सर्वे नम्बर 1388/1 रकबा 0.10 हेक्टेयर, सर्वे नम्बर 1389/1 रकबा 1.10 हेक्टेयर, सर्वे नम्बर 1402 रकबा 0.52 हेक्टेयर, सर्वे नम्बर 1406 रकबा 0.11 हेक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.83 हेक्टेयर लगानी 4 रुपये 24 पैसे की स्थित है. जिसकी बाजारू कीमत आज दिनांक को 20,00,000/– रुपये अक्षरी बीस लाख रुपये.

वर्तमान में ट्रस्ट के पास में पार्श्व कुशल सूरि चन्द्र नलखेडा के नाम से बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा नलखेडा के खाता क्रमांक 5302860585 में वर्तमान में राशि रुपये 1,26,477/– रुपये अंतिम शेष है.

राघवेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पंजीयक.

(G-5529)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट वृत्त गोविन्दपुरा भोपाल, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 10 सितम्बर 2025

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा 5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

समक्ष रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट जिला भोपाल–

क्र.–874–अ.वि.अ.–वृतगो.–2025.– जैसा कि आवेदक श्री राहुल जैन पुत्र स्व. श्री हरीशचंद जैन, निवासी– ए–74, अहिंसा विहार, अयोध्या बायपास, भोपाल– 462041 द्वारा ''जिनायतन विद्या न्यास, के द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन–पत्र सूची में दर्शाई सम्पत्ति के अनुसार पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है.

2. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा, दिनांक 14 अक्टूबर 2025 को विचार में लिया जावेगा. यदि कोई भी व्यक्ति या संस्था जो ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो लिखित में सूचना के प्रकाशन के एक माह के भीतर स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से उक्त प्रकरण में मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगाः–

अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम व पता	–	''जिनायतन विद्या न्यास''
2. न्याय कार्यालय का पता	–	ए–74, अहिंसा विहार, अयोध्या बायपास, भोपाल (म.प्र.). 462041
3. अचल सम्पत्ति	–	निरंक
4. चल सम्पत्ति	–	28,000/–

रवीश श्रीवास्तव, अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व).

(G-5530)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास, बासौदा, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश

बासौदा, दिनांक 8 सितम्बर 2025

(प्रारुप – चार)

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5(1) देखिये]

प्र.क्र.–0002–बी–113–2025–26.– यतः कि श्री इन्द्रचंद जैन पुत्र पी.एन. जैन, निवासी– वार्ड नंबर–01, चंद्रप्रभु कॉलोनी, बेहलोट बायपास, गंजबासौदा, जिला विदिशा ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है, एतद्द्वारा सूचना–पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 8 सितम्बर 2025 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जायेगा.

अतः, मैं, संतोष बिटोलिया, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास बासौदा, जिला विदिशा का लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 8 सितम्बर 2025 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूं.

अतः, एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस सूचना–पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगाः–

अनुसूची

1. लोक न्यास का नाम व पता	–	" श्री 1008 चन्द्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट गंजबासौदा" वार्ड नंबर–01, बेहलोट बायपास रोड, गंजबासौदा, जिला विदिशा (म.प्र.).
2. लोक न्यास की संपत्ति का विवरण	–	ग्राम बेहलोट सर्वे नंबर 416/2 रकबा 0.020 हे.

(G-5531)

बासौदा, दिनांक 8 सितम्बर 2025

(प्रारुप – चार)

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5(1) देखिये]

प्र.क्र.–0001–बी–113–2025–26.– यतः कि श्री देवेन्द्र कुमार जैन (कटारे) पुत्र हल्कू प्रसाद जैन, निवासी– ग्राम बालराकलां, तहसील गंजबासौदा, जिला विदिशा ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है, एतद्द्वारा सूचना–पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 08 सितम्बर 2025 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जायेगा.

अतः, मैं, संतोष बिटोलिया, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास बासौदा, जिला विदिशा का लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 8 सितम्बर 2025 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूं.

अतः, एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस सूचना–पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगाः–

अनुसूची

1. लोक न्यास का नाम व पता	–	'' श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट गंजबासौदा'' त्योंदा रोड, शांतिनाथ नगर, जैन मंदिर, गंजबासौदा.
2. लोक न्यास की संपत्ति का विवरण	–	ग्राम स्वरूपनगर सर्वे नंबर 142/2 रकबा 0.182 हे. 156/1 रकबा 0.083 हे. में से रकबा 0.002 हे., सर्वे नं. 158/2 रकबा 0.084 हे. में से रकबा 0.009 हे.

संतोष बिटोलिया, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(G-5532)

न्यायालय, रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी, शाजापुर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश

शाजापुर, दिनांक 3 सितम्बर 2025

(प्रारुप–चार)

[नियम 5 (1) देखें]

[मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5 (2) (1951 का 30) और मध्यप्रदेश/छतीसगढ़ लोक न्याय नियम, 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक, सुश्री मनीषा वास्कले जिला शाजापुर के समक्ष–

प्र.क्र.–0003–बी–113–2024–25.– चूंकि, श्री गोविन्द धाम मानव सेवा ट्रस्ट, शाजापुर की ओर से अधिकृत अध्यक्ष, अविनाश सिंह कराडा, निवासी– गायत्री नगर शाजापुर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश ने मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये एक आवेदन लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये किया है. एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन वर्ष 2025 के दिनांक 02 अक्टूबर 2025 पर मेरे द्वारा न्यायालय के विचारण मे लिया जाएगा.

अतः, मैं, मनीषा वास्कले, जिला शाजापुर के लोक न्यासों का रजिस्ट्रार अपने न्यायालय में दिनांक 02 अक्टूबर 2025 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा अपेक्षित जाँच करने की प्रस्थापना करता हूं.

किसी आपत्तियों (या सुझाव) को करने का आशय रखते हुए उक्त न्यास या संपत्ति के मामले में हित रखने वाले किसी भी व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिगत अथवा वकील द्वारा या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगाः–

अनुसूची

लोक न्यास का नाम	–	श्री गोविन्द धाम मानव सेवा ट्रस्ट, शाजापुर तहसील व जिला शाजापुर (म.प्र.).

परिशिष्ट ''अ''

न्यास की चल संपत्ति का विवरण	–	निरंक

परिशिष्ट ''ब''

न्यास की अचल संपत्ति का विवरण	–	ग्राम मूल्लाखेड़ी स्थित भूमि सर्वे क्र. 794 रकबा 3.15 हे. में से रकबा 0.75 हे.

आज दिनांक 3 सितम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

मनीषा वास्कले, अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व).

(G-5533)

न्यायालय, कलेक्टर एवं लोक न्यास पंजीयक, जिला आगर–मालवा, मध्यप्रदेश

आगर–मालवा, दिनांक 18 मार्च 2025

प्रारुप क्रमांक – 4

[(देखें नियम 5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक, कलेक्टर जिला आगर–मालवा के समक्ष–

क्र.–लोक न्यास–2025–01, प्र.क्र. 0002–ब–113–2024–25.– यतः, कि श्री महेश चौहान पिता श्री राधेश्यामजी चौहान, निवासी– महाकाल रोड, आगर–मालवा, तहसील आगर–मालवा (म.प्र.) ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन किया है, एतद्द्वारा सूचना–पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 22 अप्रैल 2025 पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा.

अतः, मैं, राघवेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं लोक न्यास पंजीयक, जिला आगर–मालवा, मध्यप्रदेश का लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 22 अप्रैल 2025 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूं.

अतः, एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपति में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस सूचना–पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है, और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपतियों को विचार में नहीं लिया जाएगाः–

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

श्री महाकाल मंदिर सेवा ट्रस्ट, महाकाल मंदिर घाटी नीचे आगर, तहसील आगर, जिला आगर मालवा मध्यप्रदेश न्यास के पास कोई संपत्ति नहीं है.

(G-5534) **राघवेन्द्र सिंह**, कलेक्टर एवं लोक न्यास पंजीयक.

कार्यालय रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट अधिकारी, उज्जैन नगर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश

उज्जैन, दिनांक 9 सितम्बर 2025

प्रारुप – चार

[नियम 5(1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5 (1) देखिए]

पंजीयक,

लोक न्यास,

उज्जैन, जिला उज्जैन के समक्ष

क्रमांक–एसडीएम नगर– रीडर–1–2025–681.– चूंकि, आवेदक श्री अप्पन्ना प्रभाकर राव अध्यक्ष, श्री उज्जैन महाकालेश्वर वैश्वी आंध्र आश्रम चेरिटेबल ट्रस्ट, कार्यालय– 7/1, आर्य समाज मार्ग, उज्जैन ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951,

(1951 का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में लोक न्यास के रूप में पंजीकृत कराने के लिये आवेदन किया है, एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदक मेरे न्यायालय में दिनांक 23 सितम्बर 2025 को दोपहर 03:बजे स्थान– सम्राट विक्रमादित्य प्रशासनिक संकुल भवन के सामने स्थित संयुक्त तहसील भवन कोठी महल के प्रथम तल के कक्ष क्रमांक 104 में विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः, मैं, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), उज्जैन नगर, जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 23 सितम्बर 2025 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूं.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यवाही, न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुतकर्ता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राहय नहीं किया जाएगाः–

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम और पता)

1. न्यास का नाम व पता	–	श्री उज्जैन महाकालेश्वर वैश्वी आंध्र आश्रम चेरिटेबल ट्रस्ट,
2. कार्यालय–		7/1, आर्य समाज मार्ग, उज्जैन (म.प्र.).
3. अचल सम्पत्ति	–	वर्तमान में न्यास ने अपने पास अचल संपत्ति शून्य दशाई है.
4. चल सम्पत्ति का विवरण	–	वर्तमान में न्यास ने अपने पास 13,00,000/–(तेरह लाख रु.मात्र) चल संपत्ति दर्शाई है.

(G-5535) **लक्ष्मीनारायण गर्ग**, रजिस्ट्रार एवं अनुविभागीय अधिकारी.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप–पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश

रायसेन, दिनांक 8 सितम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1)(2) के अंतर्गत]

क्र.–पंजीयन–2025–564.–इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–परिसमापन–1317–रायसेन, दिनांक 10 सितम्बर 2013 के द्वारा प्रा. महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., भोजपुर विकासखण्ड औ.गंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 832, दिनांक 05 जुलाई 2003 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री हर्षवर्धन, उप अंकेक्षक जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसका परीक्षण श्री विनय मरकाम, वरि.सह.निरी. द्वारा किया गया है संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ. इस संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः, मैं, डॉ. छविकांत वाघमारे, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की ओर विज्ञप्ति क्रमांक–एफ–5–1–99 पन्द्रह–1सी दिनांक 25 जुलाई 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिसमापित प्रा. महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., भोजपुर विकासखण्ड औ.गंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 832, दिनांक 05 जुलाई 2003 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था की निगमित निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 8 सितम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

छविकांत वाघमारे, उप–पंजीयक.

(G-5536)

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 1 सितम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां, 1960 की धारा 18(अ) के अंतर्गत]

क्र.–पंजीयन–2025–1442.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि–907, दिनांक 07 जून 2019 से सांईनाथ प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., ग्वालियर तहसील ग्वालियर, जिला ग्वालियर पंजीयन क्र. डीआर–जीडब्ल्यूआर–662, दिनांक 28 मार्च 2017 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्री विजय गौतम, व.स.नि. को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री विजय गौतम, व.स.नि. द्वारा, दिनांक 13 अगस्त 2025 से सांईनाथ प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., ग्वालियर तहसील ग्वालियर, जिला ग्वालियर के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश कुमार सिन्हा उप पंजीयक, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री विजय गौतम, व.स.नि. को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 1 सितम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी.

(G-5537)

ग्वालियर, दिनांक 1 सितम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां, 1960 की धारा 18(अ) के अंतर्गत]

क्र.–पंजीयन–2025–1443.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि–1123, दिनांक 31 मार्च 2016 से अभियंक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, तहसील ग्वालियर, जिला ग्वालियर पंजीयन क्र. डीआर–जीडब्ल्यूआर–282, दिनांक 30 सितम्बर 2000 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्री अजय आहूजा, व.स.नि. को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री अजय आहूजा, व.स.नि. द्वारा, दिनांक 7 अगस्त 2025 से अभियंक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर तहसील ग्वालियर, जिला ग्वालियर के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निर्ष्कष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश कुमार सिन्हा, उप पंजीयक, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री अजय आहूजा, व.स.नि. को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 1 सितम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी.

(G-5538)

ग्वालियर, दिनांक 1 सितम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां, 1960 की धारा 18(अ) के अंतर्गत]

क्र.–पंजीयन–2025–1444.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि–1922, दिनांक 15 अक्टूबर 2015 से मां शेरावाली गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर तहसील ग्वालियर, जिला ग्वालियर पंजीयन क्र डीआर–जीडब्ल्यूआर–223, दिनांक 19 नवम्बर 1995 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्री अजय आहूजा, व.स.नि. को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री अजय आहूजा, व.स.नि. द्वारा दिनांक 07 अगस्त 2025 से मां शेरावाली गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर तहसील ग्वालियर, जिला ग्वालियर के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुसंशा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश कुमार सिन्हा, उप पंजीयक, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री अजय आहूजा, व.स.नि. को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 1 सितम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी.

(G-5539)

ग्वालियर, दिनांक 1 सितम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां, 1960 की धारा 18(अ) के अंतर्गत]

क्र.–पंजीयन–2025–1445.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि–1070, दिनांक 30 मार्च 2016 से अजय प्रकाशन मुद्रणा एवं वितरण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर तहसील ग्वालियर, जिला ग्वालियर पंजीयन क्र. एआर–जीडब्ल्यूआर–236 दिनांक 29 दिसम्बर 1996 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्री अजय आहूजा, व.स.नि. को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री अजय आहूजा, व.स.नि. द्वारा दिनांक 18 अगस्त 2025 से अजय प्रकाशन मुद्रणा एवं वितरण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर तहसील ग्वालियर, जिला ग्वालियर के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश कुमार सिन्हा, उप पंजीयक, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री अजय आहूजा, व.स.नि. को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 1 सितम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी.

(G-5540)

ग्वालियर, दिनांक 1 सितम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां, 1960 की धारा 18(अ) के अंतर्गत]

क्र.–पंजीयन–2025–1446.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि–2472, दिनांक 24 नवम्बर 2012 से नगर निगम कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर तहसील ग्वालियर, जिला ग्वालियर पंजीयन क्र. एआर–जीडब्ल्यूआर–901, दिनांक 14 सितम्बर 2000 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्री अजय आहूजा, व.स.नि. को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री अजय आहूजा, व.स.नि. द्वारा, दिनांक 18 अगस्त 2025 से नगर निगम कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर तहसील ग्वालियर, जिला ग्वालियर के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश कुमार सिन्हा उप पंजीयक, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, के ज्ञाप क्र एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नही होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री अजय आहूजा, व.स.नि. को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 1 सितम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी.

(G-5541)

ग्वालियर, दिनांक 1 सितम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां, 1960 की धारा 18(अ) के अंतर्गत]

क्र.–पंजीयन–2025–1447.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि–1081, दिनांक 30 मार्च 2016 से कृष्णा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., ररूआ, तहसील भितरवार, जिला ग्वालियर पंजीयन क्र. एआर–जीडब्ल्यूआर–942, दिनांक 16 अप्रैल 2004 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्री अजय आहूजा, व.स.नि. को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री अजय आहूजा, व.स.नि. द्वारा, दिनांक 18 अगस्त 2025 को कृष्णा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., ररूआ तहसील भितरवार, जिला ग्वालियर के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण दीप से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुसंशा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश कुमार सिन्हा, उप पंजीयक, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, के ज्ञाप क्र एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नही होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री अजय आहूजा, व.स.नि. को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 1 सितम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी.

(G-5542)

ग्वालियर, दिनांक 1 सितम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां, 1960 की धारा 18(अ) के अंतर्गत]

क्र.–पंजीयन–2025–1448.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि–1241, दिनांक 3 जून 1997 से समर्थ नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर तहसील ग्वालियर, जिला ग्वालियर पंजीयन क्र. डीआर–जीडब्ल्यूआर–107, दिनांक 26 मार्च 1982 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्री अजय आहूजा, व.स.नि. को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री अजय आहूजा, व.स.नि. द्वारा, दिनांक 7 अगस्त 2025 से समर्थ नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर तहसील ग्वालियर, जिला ग्वालियर के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश कुमार सिन्हा, उप पंजीयक, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री अजय आहूजा, व.स.नि. को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 1 सितम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी.

(G-5543)

ग्वालियर, दिनांक 1 सितम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां, 1960 की धारा 18(अ) के अंतर्गत]

क्र.–पंजीयन–2025–1449.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि–2065, दिनांक 4 अक्टूबर 2018 से पारस प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., ग्वालियर तहसील ग्वालियर, जिला ग्वालियर पंजीयन क्र. डीआर–जीडब्ल्यूआर–621, दिनांक 26 दिसम्बर 2016 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्री अजय आहूजा, व.स.नि. को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री अजय आहूजा, व.स.नि. द्वारा, दिनांक 18 अगस्त 2025 से पारस प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., ग्वालियर तहसील ग्वालियर, जिला ग्वालियर के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश कुमार सिन्हा, उप पंजीयक, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री अजय आहूजा, व.स.नि. को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 1 सितम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी.

(G-5544)

ग्वालियर, दिनांक 1 सितम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां, 1960 की धारा 18(अ) के अंतर्गत]

क्र.–पंजीयन–2025–1453.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र–परि–909, दिनांक 7 जून 2019 से त्रिकुट वासिनी प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., ग्वालियर, तहसील ग्वालियर, जिला ग्वालियर पंजीयन क्र. डीआर–जीडब्ल्यूआर–605, दिनांक 21 अक्टूबर 2016 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्री विजय गौतम, व.स.नि. को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री विजय गौतम, व.स.नि. द्वारा, दिनांक 13 अगस्त 2025 से त्रिकुट वासिनी प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., ग्वालियर तहसील ग्वालियर, जिला ग्वालियर के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश कुमार सिन्हा, उप पंजीयक, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री विजय गौतम, व.स.नि. को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 1 सितम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी.

(G-5545)

ग्वालियर, दिनांक 1 सितम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां, 1960 की धारा 18(अ) के अंतर्गत]

क्र.–पंजीयन–2025–1454.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र–परि–2370, दिनांक 7 नवम्बर 2012 से छत्रसाल साख सहकारी समिति मर्या., ग्वालियर तहसील ग्वालियर, जिला ग्वालियर पंजीयन क्र. एआर–जीडब्ल्यूआर–906, दिनांक 22 मार्च 2001 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्री अजय आहूजा, व.स.नि. को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री अजय आहूजा, व.स.नि. द्वारा, दिनांक को छत्रसाल साख सहकारी समिति मर्या., ग्वालियर, तहसील ग्वालियर, जिला ग्वालियर के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश कुमार सिन्हा उप पंजीयक, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री अजय आहूजा, व.स.नि. को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 1 सितम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी.

(G-5546) **नरेश कुमार सिन्हा,** उप रजिस्ट्रार.

कार्यालय, परिसमापक, सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश

शिवपुरी, दिनांक 4 सितम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 सी के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2025–908.–शिवपुरी जिले में निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला शिवपुरी के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत मुझे निम्नलिखित संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:–

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सांई बाबा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी	197 / 26–10–1988	616 / 12–2–2024
2.	विद्युत मंडल कर्मचारी गृह निर्माण सह, संस्था शिवपुरी	256 / 23–8–1990	658 / 30–9–2024
3.	राज्य कर्मचारी गृह निर्माण सह, संस्था मर्या., शिवपुरी	143 / 7–7–1983	369 / 30–5–2024
4.	पत्रकार गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी	274 / 23–11–1991	382 / 31–5–2024

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम 57 सी के अन्तर्गत उक्त संस्थाओ के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना–पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय–प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंछित होने के दायित्वधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका

दावा (क्लेम) मान्य नही किया जायेगा. संस्था की लेखा–पुस्तकों मे लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

यह सूचना आज दिनांक 20 अगस्त, 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी की गई.

सुधीर सिंह कुशवाह, अंकेक्षण अधिकारी.

(G-5547)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 सी के अंतर्गत]

शिवपुरी जिले में निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत मुझे निम्नलिखित संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:–

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	संजय गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी.	123 / 30–11–1988	545 / 2–6–2025

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम 57 सी के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरूद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना–पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय–प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंछित होने के दायित्वधीन होगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नही किया जायेगा. संस्था की लेखा–पुस्तकों मे लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

यह सूचना आज दिनांक 20 अगस्त 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी की गई.

विनीता सक्सेना, सहकारी निरीक्षक.

(G-5548)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57 सी के अंतर्गत]

शिवपुरी जिले मे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को सहायक आयुक्त सहकारिता, जिला शिवपुरी के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत मुझे निम्नलिखित संस्थाओ का परिसमापक नियुक्त किया गया है:–

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	चैतन्य नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., खनियाधाना.	154 / 21–11–2006	495 / 27–5–2025

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम 57 सी के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरूद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना–पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय–प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंछित होने के दायित्वधीन होगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नही किया जायेगा. संस्था की लेखा–पुस्तकों मे लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

यह सूचना आज दिनांक 20 अगस्त 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी की गई.

पारथ दुबे सहकारी निरीक्षक.

(G-5549)

कार्यालय, परिसमापक एवं अंकेक्षण अधिकारी, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश

नरसिंहपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम 1962 के नियम 57 सी के अंतर्गत]

क्र.–परि– 2025–703.– कार्यालय उप–रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर के आदेशानुसार निम्नानुसार समितियों को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 को धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत नियुक्त किया गया है:–

क्र. (1)	सहकारी समिति का नाम (2)	पंजीयन क्रमांक व दिनांक (3)	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक (4)
1.	प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बोहानी	536 / 14–03–1997	943 / 16–11–2017
2.	चर्मकार सहकारी समिति मर्या., सालीचौकी	134 / 30–4–1962	208 / 4–5–1991
3.	कृपा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सूरवारी	(38 / 24–6–2011) समपरिवर्तित पं.क्र. 683 / 30–6–2014	160 / 5–2–2014
4.	शिवशक्ति बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या. पुआरिया	(83 / 28–9–2011) समपरिवर्तित पं.क्र. 772 / 30–6–2014	162 / 5–2–2014
5.	पंचवटी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., धनौरा	(111 / 8–6–2011) समपरिवर्तित पं.क्र. 747 / 30–6–2014	162 / 5–2–2014
6.	मॉ शारदा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भौरझिर	(85 / 29–9–2011) समपरिवर्तित पं.क्र. 724 / 30–6–2014	173 / 5–2–2014
7.	मॉ नर्मदा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मिडवानी	659 / 30–6–2014	1093 / 23–6–2018
8.	कृषि यंत्र विश्वकर्मा सहकारी समिति मर्या., सालीचौका	434 / 22–8–1995	721 / 19–8–2009
9.	स्टोन क्रेशर सहकारी समिति मर्या., गाडरवारा	403 / 16–7–1996	716 / 19–8–2009
10.	महावीर तेलधानी सहकारी समिति मर्या., बोहानी	117 / 4–5–1965	208 / 4–5–1991
11.	जिला बुनकर सहकारी समिति मर्या., नरसिंहपुर	253 / 26–7–1976	489 / 4–5–1991
12.	जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., नरसिंहपुर.	998 / 13–5–1995	43 / 7–1–2016
13.	बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बनखेडी	764 / 30–6–2014	1155 / 12–6–2017

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम, 1962 के नियम 57 के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया गया है कि प्रकाशन अवधि से दो माह के अंदर मय–प्रमाण के यदि हो, तो मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो निर्धारित समय के पश्चात् बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किए गए समझे जायेंगे,

अतः, उपरोक्त सूचना आज दिनांक 20 अगस्त 2025 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-5550) **राजेन्द्र सिंह,** परिसमापक एवं अंकेक्षण अधिकारी.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2025.

इसे वेबसाइट **www.govtpress.mp.gov.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 सितम्बर 2025–भाद्र 28, शक 1947

भाग 3 (2)

सांख्यिकी सूचनाऐं

(कुछ नहीं)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2025.